



ALL INDIA SC & ST RAILWAY EMPLOYEES ASSOCIATION ऑल इण्डिया एससी /एसटी रेलवे एम्पलॉईज एसोसियेशन

MEMORANDUM

Hon'ble Parliamentary Committee on the Welfare on
Scheduled Castes & Scheduled Tribes during Briefing on
Implementation of Reservation Policy in the Ministry of Railways, Railway Board
held on 15th September, 2026 At 14.30 Hrs.
at Main Committee Room, Ground Floor, Parliament House Annexe, New Delhi.

ज्ञापन

माननीय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के समक्ष
भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के संबंध में
दिनांक 15 सितम्बर, 2026 को अपराह्न 14.30 बजे,
मेन कमिटी रूम, ग्राउंड फ्लोर, पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी, नई दिल्ली में आयोजित ब्रीफिंग के दौरान प्रस्तुत ज्ञापन।

निवेदक

बी एल बैरवा
राष्ट्रीय अध्यक्ष

9971397186, 90011985384

अशोक कुमार
राष्ट्रीय महासचिव

9717635815, 8445563194

ऑल इण्डिया एससी /एसटी रेलवे एम्पलॉईज एसोसियेशन
(रजि . न. S/1517 एवं रेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त)

ALL INDIA SCHEDULED CASTES & SCHEDULED TRIBES RAILWAY EMPLOYEES ASSOCIATION (Central Executive Committee)

Regd. No.S-1517 & Recognised by Ministry of Railways

Head Office : 171/B-3, Basant Lane Railway Colony, New Delhi -1 • Rly. Ph.: 030- 23354

PREM Office : Room No. 7 (GF), Rail Bhavan, New Delhi. • Rly. Ph.: 030-43705
BSNL Ph. & Fax No. 011-23043705 • visit at : www.aistrea.com



Ref. No. AI/SCT/REA/CEC/ 105 / 2026

Date 15/09/2026

President

B L Bairwa

(JAIPUR)

Rly. Ph. : 095-25786

Ph./ FAX : 0141-2725518

Mobile : 09001195384

09971397186

banwarilalbairwa@yahoo.co.in



Working President

Dr. A Gnanasekaran

(Chennai)

Mobile : 9840263651



Sr. Vice President

P C Murmu

(Kolkata)

Mobile : 09434592895



General Secretary

Ashok Kumar

(Delhi)

Mobile : 09717635815

08445563194

aistreacec@yahoo.co.in



Addl. General Secretary

M Mohan

(Mysore)

Mobile : 09880590799



Treasurer

Prem Singh

(Delhi)

Mobile : 09717639657

To,

Dr.Faggan Singh Kulaste Ji,

Hon'ble Chairman,

Parliamentary Committee on the Welfare of SCs & STs,

509, Parliament House Annexe,

Extn. Building, B-Block, New Delhi-110001.

Sub.-:Memorandum on "Implementation of Reservation Policy in the Ministry of Railways, Railway Board" during briefing before the Hon'ble Parliamentary Committee on the Welfare of SCs & STs to be held on 15th September, 2026 at 14.30 Hrs. at Main Committee Room, Ground Floor, PHA, New Delhi.

Respected Sir,

On behalf of the All India Scheduled Castes & Scheduled Tribes Railway Employees Association, we express our heartfelt gratitude and sincere thanks to the Hon'ble Chairman and all the Hon'ble Members of the Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes & Scheduled Tribes for providing the Association with an opportunity to brief the Committee on the matters relating to the implementation of the Reservation Policy in the Ministry of Railways / Railway Board.

A detailed memorandum regarding the effective and actual implementation of the Reservation Policy for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Ministry of Railways / Railway Board, as well as various problems and pending issues concerning SC/ST Railway employees, is enclosed herewith in both Hindi and English for the kind consideration of the Hon'ble Parliamentary Committee.

We, therefore, respectfully request that the Hon'ble Parliamentary Committee may kindly consider all the issues and problems highlighted in the enclosed memorandum sympathetically and seriously and, keeping in view the constitutional rights, interests and welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, may be pleased to make appropriate recommendations to the Government of India, Ministry of Railways and Railway Board for necessary and effective action.

The Association firmly believes that the intervention and recommendations of the Hon'ble Parliamentary Committee will greatly assist in ensuring the effective, transparent and proper implementation of the Reservation Policy in the Ministry of Railways / Railway Board and in resolving the long-pending issues and grievances of SC/ST Railway employees.

ALL INDIA SCHEDULED CASTES & SCHEDULED TRIBES RAILWAY EMPLOYEES ASSOCIATION

(Central Executive Committee)

Regd. No.S-1517 & Recognised by Ministry of Railways

Head Office : 171/B-3, Basant Lane Railway Colony, New Delhi -1 • Rly. Ph.: 030- 23354
PREM Office : Room No. 7 (GF), Rail Bhavan, New Delhi. • Rly. Ph.: 030-43705
 BSNL Ph. & Fax No. 011-23043705 • visit at : www.aistrea.com



Ref. No. AI/SCT/REA/CEC/ 105 / 2026

Date 15/09/2026

President

B L Bairwa

(JAIPUR)

Rly. Ph. : 095-25786

Ph./ FAX : 0141-2725518

Mobile : 09001195384

09971397186

banwarilalbairwa@yahoo.co.in



Working President

Dr. A Gnanasekaran

(Chennai)

Mobile : 9840263651



Sr. Vice President

P C Murmu

(Kolkata)

Mobile : 09434592895



General Secretary

Ashok Kumar

(Delhi)

Mobile : 09717635815

08445563194

aistreacec@yahoo.co.in



Addl. General Secretary

M Mohan

(Mysore)

Mobile : 09880590799



Treasurer

Prem Singh

(Delhi)

Mobile : 09717639657

All India Scheduled Castes & Scheduled Tribes Railway Employees Association shall remain ever grateful to the Hon'ble Chairman and all the Hon'ble Members of the Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes & Scheduled Tribes for their kind consideration, support and valuable intervention.

With kind regards.

Encl. : As above

(B L Bairwa)

National President

Yours Sincerely

(Ashok Kumar)

National General Secretary

Copy to the Hon'ble Members of the Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes & Scheduled Tribes - for kind consideration please.

Copy to the Chairman & CEO, Railway Board, Rail Bhawan, New Delhi - for information & necessary action please.

MEMORANDUM OF ALL INDIA SCHEDULED CASTES & SCHEDULED TRIBES RAILWAY EMPLOYEES ASSOCIATION TO THE HON'BLE CHAIRMAN, PARLIAMENTARY COMMITTEE ON THE WELFARE ON SCHEDULED CASTES & SCHEDULED TRIBES DURING BRIEFING ON IMPLEMENTATION OF RESERVATION POLICY IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, RAILWAY BOARD TO BE HELD ON 15TH SEPTEMBER, 2026 AT 14.30 HRS. AT MAIN COMMITTEE ROOM, GROUND FLOOR, PHA, NEW DELHI.

1. Extension of facilities to the All India Scheduled Castes & Scheduled Tribes Railway Employees Association for smooth functioning of this Association as well as implementation of reservation policy in the Indian Railways.

The All India Scheduled Castes & Scheduled Tribes Railway Employees Association (Regd. No. S/1517) is a welfare organization which has always played an active and constructive role in various social and national activities. The Association has completed more than 67 years of dedicated service towards the welfare and advancement of approximately 3.50 lakh Scheduled Caste and Scheduled Tribe Railway employees across Indian Railways.

The primary objective of the Association is to ensure the effective, faithful and proper implementation of the Government of India's reservation policy for SCs and STs, as well as to safeguard the legitimate rights and interests of SC/ST Railway employees and prevent their unnecessary harassment and discrimination in service matters.

The Association has a well-organized, disciplined and democratic organizational structure extending up to the Branch level throughout Indian Railways. Its Office Bearers and members have consistently worked for the welfare of SC/ST employees while also contributing to various social and national causes.

The Ministry of Railways, Railway Board has extended certain facilities to the Association with the objective of safeguarding the interests of SC/ST Railway employees, facilitating the effective implementation of the Government of India's reservation policy, and enabling the Association to undertake welfare activities for its members.

However, in view of the long-standing history, extensive organizational network, substantial membership and significant contribution made by the Association towards the welfare of SC/ST Railway employees and the implementation of reservation policy, the facilities presently extended to the Association are highly inadequate and disproportionately meager in comparison with those being provided to other recognized trade unions.

It is, therefore, submitted that the facilities and recognition extended to the Association may kindly be reviewed and suitably enhanced on an equitable and proportionate basis, so that the Association can discharge its statutory, constitutional and welfare-related responsibilities more effectively and continue to contribute meaningfully towards the welfare of SC/ST Railway employees and the effective implementation of the Government's reservation policy as under:-

(i) Please grant Full Recognition to the Association and Representation in Various Committees.

At present, the Ministry of Railways, Railway Board has granted recognition to the Association for welfare activities and has extended certain facilities to it. The Association has also been provided representation in certain committees such as PREM, SBF, Housing Committee, Colony Care Committee / Colony Inspection Group, etc.

However, the Association has not been provided representation in several other important committees dealing with the development of Railways, administrative matters and the welfare of Railway employees, such as POM, DOM, Pin-pointing of posts, Hospital Visiting Committee, Canteen Committee, Shop Floor Committee, Railway Institute & Community Hall Committee, Sports & Recreation Committee, and other similar committees.

Important matters relating to railway development, working conditions, administrative functioning and employee welfare are discussed and decisions are taken in these committees. In the absence of representation of the Association in such committees, it becomes difficult to effectively raise and safeguard the legitimate interests and concerns of SC/ST railway employees.

It is, therefore, requested that the Association may kindly be granted full recognition and provided appropriate and effective representation in all such committees where matters concerning Railway development, Employees welfare, service conditions and other issues affecting the interests of SC/ST Railway Employees are discussed and decisions are taken.

(ii) Enhancement of the Number and Frequency of Informal Meetings with the Association

At present, the Ministry of Railways, Railway Board has provided for three Informal Meetings per year with the Association at the Railway Board, Zonal Railway and Production Unit, Divisional and Workshop levels. In addition, one Informal Meeting per year is provided at the Assistant Engineer level.

Considering the nature and magnitude of the problems faced by employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the existing provision of only three meetings in a year is inadequate. Various issues concerning SC/ST Railway employees arise on a regular basis, including effective implementation of the reservation policy, clearance of backlog vacancies, identification and pin-pointing of posts, reservation in promotion, maintenance of reservation rosters, cadre restructuring, recruitment, promotion, service matters and other welfare-related issues.

It is pertinent to mention that the Parliamentary Committee on the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes had earlier recommended in the 47th Report vide recommendation No.7 (Para No.1.32) that Monthly Informal Meetings with the Association should be held at the Railway Board, Zonal, Divisional and Workshop levels. The Railway Administration had accepted the said recommendation vide letter No.88-E(SCT)/I/80/2 dated 21.09.1989; however, subsequently, the arrangement was withdrawn on the ground of the workload and exigencies of Railway working.

It may be appreciated that the Association plays an important role in assisting the Railway Administration in ensuring the effective implementation of the reservation policy of the Government of India and in protecting the legitimate interests of SC/ST Railway employees. The Association does not interfere in the administrative functioning of the Railways; rather, it extends its cooperation to the Railway Administration in ensuring effective implementation of the provisions relating to reservation and employee welfare. Wherever shortcomings are noticed, the Association brings the same to the notice of the administration and makes efforts for their appropriate resolution.

In view of the above, and keeping in consideration the earlier recommendation of the Parliamentary Committee on the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, it is requested that necessary instructions may kindly be issued for reintroducing Monthly

Informal Meetings with the Association at the Railway Board, Zonal Railway, Production Unit, Divisional and Workshop levels.

In case it is not considered feasible to immediately restore the system of monthly meetings, it is requested, as an alternative, that at least Quarterly Informal Meetings may be made mandatory at all concerned levels, so that the problems and grievances of SC/ST Railway employees can be reviewed regularly and their timely resolution can be ensured.

(iii) **Conducting of Formal Meetings with the Association instead of Informal Meetings.**

At present, the Ministry of Railways, Railway Board has issued instructions for holding Informal Meetings with the Association. It has also been directed that the Minutes of such Informal Meetings are not required to be formally recorded and circulated among all concerned.

In such circumstances, the very purpose and effectiveness of an Informal Meeting becomes considerably diminished. If the discussions held and decisions arrived at during the meeting are not properly recorded and circulated to all concerned, it becomes difficult to ensure effective follow-up action and implementation of the decisions taken during such meetings. The absence of recorded minutes and non circulated it to all concern also makes it difficult to monitor the progress of issues discussed and the action taken by the concerned authorities.

Moreover, the Railway Administration often adopts a casual and indifferent approach towards Informal Meetings and does not accord them the seriousness and importance required for resolving the issues raised by the Association. As a result, important matters concerning the effective implementation of the reservation policy of the Government of India for SCs and STs remain unresolved, and the genuine problems and grievances of SC/ST Railway employees are not addressed within a reasonable period.

The Association has an important role in bringing to the notice of the Railway Administration the difficulties faced by SC/ST Railway employees and in assisting the Administration in ensuring proper implementation of the constitutional and statutory provisions relating to reservation and their welfare. For this purpose, the mechanism of interaction between the Association and the Railway Administration needs to be effective, accountable and result-oriented.

Therefore, it is respectfully requested that the Hon'ble Parliamentary Committee may kindly recommend that the existing system of Informal Meetings with the Association be replaced by a system of Formal Meetings at the appropriate levels.

It is further requested that the minutes of every such Formal Meeting may be properly recorded, approved and circulated to all concerned authorities, along with clear responsibility for taking necessary action within a stipulated time frame. This will ensure effective follow-up, accountability and timely resolution of issues relating to the implementation of the reservation policy and the legitimate grievances of SC/ST Railway employees.

Such a mechanism would also strengthen the institutional dialogue between the Association and the Railway Administration and contribute towards ensuring the effective implementation of the Government of India's reservation policy and the welfare of SC/ST Railway employees.

(iv) Provision of Card Pass Facility to All Elected Office Bearers of the Association

As per the Bye-Laws of the Association, there are six elected office-bearers at the Central level, namely, President, Working President, Senior Vice President, General Secretary, Additional General Secretary and Treasurer. Similarly, there are five elected office-bearers at the Zonal, Divisional and Workshop levels, namely, President, Working President, Secretary, Additional Secretary and Treasurer. At the Branch level, there are three elected office-bearers, namely, President, Secretary and Treasurer.

At present, three First AC Card Passes are provided to the President, Working President and General Secretary of the Central Executive Committee, while two Second AC Card Passes are provided to the Additional General Secretary and Treasurer. However, no Card Pass facility has been provided to the elected Senior Vice President of the Central Executive Committee.

Similarly, at the Zonal, Divisional and Workshop levels, two Second AC Card Passes are provided to the President and Secretary of the respective Executive Committees. However, no Card Pass facility is provided to the Working President, Additional Secretary and Treasurer.

At the Branch level, one Second AC Card Pass is provided to the President / Vice President and Secretary, which can be utilized by only one office-bearer at a time. No Card Pass facility is provided to the Treasurer of the Branch Executive Committee.

The existing arrangement results in unequal treatment among the duly elected office-bearers of the Association and also creates practical difficulties in the effective functioning of the Association. Since all the elected office-bearers have defined responsibilities under the Bye-Laws and are required to undertake organizational activities and represent the interests of SC/ST Railway employees before the Railway Administration, adequate travel facilities are essential for the effective discharge of their responsibilities.

The office-bearers of the Association are required to travel to different Zonal Railways & Production Units, Divisions, Workshops, Units, Stations and other Railway establishments for pursuing matters relating to the effective implementation of the reservation policy of the Government of India, as well as for addressing the service-related and welfare issues of SC/ST Railway employees.

Therefore, it is respectfully requested that the Hon'ble Parliamentary Committee may kindly recommend that the Card Pass facility be extended to all elected office-bearers of the Association up to the Branch level, particularly:

1. Senior Vice President of the Central Executive Committee;
2. Working President, Additional Secretary and Treasurer of the Zonal, Divisional and Workshop Executive Committees; and
3. Secretary and Treasurer of the Branch Executive Committees.

It is further requested that appropriate instructions may kindly be issued to provide the requisite Card Pass facility, as applicable, to these elected office-bearers, so that they may discharge their organizational responsibilities effectively and contribute towards ensuring the proper implementation of the reservation policy of the Government of India and safeguarding the legitimate interests and welfare of SC/ST Railway employees.

(v) **Provision of Special Casual Leave and Special Passes for attending Meetings of the Association**

As per the Bye-Laws of the Association and the instructions issued by the Railway Board, the Association is required to conduct Annual General Body Meetings, Elections of its Executive Committees once every three years, and Quarterly Meetings of the Executive Committees from the Central level up to the Branch level. These meetings are essential for the democratic functioning of the Association and for reviewing and pursuing matters relating to the welfare and legitimate interests of SC/ST Railway employees.

However, unlike the facilities extended to other recognized trade unions, Special Casual Leave and Special Passes are not being provided to the office-bearers / members of the Association at all levels for attending such organizational meetings.

As a result, the elected office-bearers and members of the Association are required to attend these mandatory meetings by availing their own leave and using their personal passes or bearing the travelling expenses themselves. This causes considerable personal inconvenience and financial loss to the office-bearers and members who are discharging organizational responsibilities in addition to their regular Railway duties.

It is important to appreciate that the meetings referred to above are not personal or private activities. They are conducted in accordance with the Bye-Laws of the Association and the instructions of the Railway Board and are directly connected with the effective functioning of the Association and the representation of SC/ST Railway employees.

Non-availability of Special Casual Leave and Special Pass facilities also adversely affects the participation of office-bearers and members, particularly those posted at distant locations, and consequently hamper the effective functioning of the Association and its efforts towards ensuring proper implementation of the reservation policy of the Government of India.

It is, therefore, respectfully requested that the Hon'ble Parliamentary Committee may kindly recommend that Special Casual Leave and Special Pass facilities be extended to the office-bearers and eligible members of the Association at all levels—from the Central Executive Committee to the Zonal, Divisional, Workshop and Branch levels—for attending Annual General Body Meetings, Elections, Quarterly Executive Committee Meetings and other meetings conducted in accordance with the Bye-Laws and Railway Board's instructions.

It is further requested that the facilities so provided may be at par with those extended to other recognized trade unions, so that the office-bearers and members of the Association are not required to bear personal financial loss or utilize their own leave for performing legitimate organizational responsibilities.

Such a provision would ensure equal treatment, effective democratic functioning of the Association and wider participation of SC/ST Railway employees in matters concerning their welfare and the effective implementation of the reservation policy of the Government of India.

(vi) **Protection of Office Bearers of the Association from unwarranted Transfers**

The Association has been working for the effective implementation of the reservation policy of the Government of India and for safeguarding the legitimate interests and welfare of

SC/ST Railway employees for which the Ministry of Railways, Railway Board has recognized this Association for welfare activities and granted certain facilities to the Association.

However, the office-bearers of the Association are frequently subjected to unwarranted transfers without any cogent or justified reason, even while being transferred to posts carrying the same designation and the same Grade Pay/level. Such transfers adversely affect the functioning of the Association and discourage its office-bearers from effectively discharging their organizational responsibilities.

In several cases, even when an elected office-bearer is due to be transferred, the Association is not provided reasonable opportunity or sufficient time to elect another office-bearer or make an appropriate alternative arrangement before the transfer is affected. As a result, the organizational functioning of the Association at the concerned level is seriously disrupted.

The matter was raised by the Association during its Informal Meeting with the Railway Board. Thereafter, the Ministry of Railways, Railway Board issued instructions vide letter No.97-E(SCT)/22/12 dated 05.03.1999 (RBE No.39/1999) directing that the Liaison Officer should be informed whenever an office-bearer of the Association is proposed to be transferred.

However, merely informing the Liaison Officer does not adequately address the problem. The existing arrangement is therefore insufficient and ineffective, as it does not provide any substantive protection against unnecessary or arbitrary transfers of the office-bearers of the Association.

There is a need for a clear and effective policy to ensure that office-bearers of the Association are not unnecessarily transferred, particularly when such transfers adversely affect the functioning of the Association. Further, in cases where a transfer is unavoidable due to administrative or other compelling reasons, the Association should be provided reasonable and adequate time to make an alternative organizational arrangement, including the election / nomination of another office-bearer, before the transfer is implemented.

It is also pertinent to mention that appropriate safeguards and transfer-related facilities are available in respect of office-bearers of other recognized trade unions. Denial of similar protection to the office-bearers of the Association results in an unequal and discriminatory situation and adversely affects the effective representation of SC/ST Railway employees.

Therefore, it is respectfully requested that the Hon'ble Parliamentary Committee may kindly recommend that the policy and safeguards applicable to the transfer of office-bearers of other recognized trade unions be extended mutatis mutandis to the office-bearers of this Association.

It is further requested that necessary instructions may kindly be issued to ensure that:

1. Unwarranted and avoidable transfers of office-bearers of the Association are not resorted to;
2. Where a transfer is unavoidable for genuine administrative reasons, the Association and the concerned Liaison Officer are informed sufficiently in advance;
3. Adequate and reasonable time is provided to the Association to make an alternative organizational arrangement, including election / nomination of another office-bearer,

before the transfer takes effect as provided in case of office bearers of trade unions; and

4. The office-bearers of the Association are provided the same safeguards and protection in transfer matters as are available to office-bearers of other recognized trade unions.

Such a policy would ensure continuity in the functioning of the Association and enable its office-bearers to effectively contribute towards the implementation of the Government of India's reservation policy and the welfare of SC/ST Railway employees.

(vii) Written Communication Regarding Action Taken on the Association's Representations

As per the instructions issued by the Ministry of Railways, Railway Board, representations submitted by this Association are being entertained by the Railway Administration. However, the action taken / compliance on the representations submitted by the Association is not being communicated to the Association in writing.

In the absence of written communication, the Association is unable to ascertain the status of its representations, the decision taken thereon and the action initiated by the concerned authorities. This also makes it difficult to pursue pending matters effectively.

It is, therefore, respectfully requested that the reply and action taken / compliance on every representation submitted by the Association may kindly be communicated to the Association in writing within a reasonable stipulated time, so that the Association may appropriately pursue unresolved matters and ensure effective implementation of decisions.

(viii) Exemption from Rent / Licence Fee and Electricity Charges for Association Offices

This Association is a welfare organization recognized by the Ministry of Railways for undertaking welfare activities for SC/ST railway employees. The Association performs its organizational activities in the larger interest of employee welfare and assists the Railway Administration in ensuring the effective implementation of the reservation policy of the Government of India.

However, the Railway Administration is insisting upon payment of Rent / Licence fee and electricity charges for the office accommodation provided to the Association. Since the office accommodation is being utilized for welfare and organizational activities connected with the interests of SC/ST Railway employees, imposing such financial liabilities places an unnecessary burden on the Association.

It is, therefore, respectfully requested that the Association may kindly be exempted from payment of Rent / Licence fee and electricity charges for its recognized office accommodation undertaking employee welfare activities.

(ix) Provision of Railway and BSNL Telephone Facilities with STD at offices as well as residence of the office bearers and CUG Mobile Sim facility to the office bearers of the Association

The Ministry of Railways has provided Railway telephone facilities in the offices of the Association. However, BSNL telephone facilities with STD connectivity have not been provided, although such communication facilities are essential for the effective functioning of

the Association and for maintaining regular communication with its office-bearers, zonal / divisional / workshop and branches throughout Indian Railways.

It is, therefore, respectfully requested that both Railway telephone and BSNL telephone facilities with STD connectivity may kindly be provided at the offices of the Association, as well as at the official residences of the President and Secretary of the Association and CUG Mobile Sim to the elected office bearers up to the Branch level, as per the applicable rules and facilities provided to similarly situated recognized organizations.

(x) Provision of adequate Facilities and regular Meetings under the Participation of Railway Employees in Management (PREM) Scheme

The Ministry of Railways, Railway Board vide letter dated 19.08.2013 has been permitted the participation of this Association in the PREM (Participation of Railway Employees in Management) Group and has been issued instructions that the facilities available to other members of the PREM Group should also be extended to this Association.

However, despite such permission and instructions, the Association has not been provided with adequate facilities under the PREM Scheme at the Apex / Central level, as are available to other members of the PREM Group, including recognized trade unions and federations.

At present, only a small room in Rail Bhawan has been provided to the Association for functioning as its PREM office at the Apex / Central level. The space provided is inadequate for the effective functioning of the PREM office and for conducting official activities.

Furthermore, no secretarial assistance, such as a Stenographer or Office Assistant, has been provided for the PREM office. The computer, printer and photocopying machine provided in the office are also not in proper working condition, thereby seriously hampering day-to-day official work.

Although the PREM office has recently been renovated, new furniture and almirah / cupboard have not yet been provided, which further restricts the proper functioning and maintenance of official records and documents.

It is also pertinent to mention that, as per the instructions of the Ministry of Railways, Railway Board, Quarterly Meetings of the PREM Group are required to be conducted at every level. However, these instructions are not being properly complied with by the Railway Administration. Since the Association was permitted to participate in the PREM Group in the year 2013, only two meetings have so far been conducted at the Railway Board / Apex level, which is wholly inadequate for meaningful participation in the PREM mechanism.

The PREM mechanism is intended to provide an institutional forum for interaction and participation of railway employees and their representatives in matters relating to railway administration, working conditions, employee welfare and the development of the Railways. Non-conduct of meetings at the prescribed periodicity substantially defeats the very purpose of the PREM Scheme.

This disparity and inadequate institutional support adversely affect the effective participation of the Association in the PREM mechanism and its ability to properly raise and pursue matters concerning the welfare, service conditions and legitimate interests of SC/ST Railway employees.

It is, therefore, respectfully requested that the Hon'ble Parliamentary Committee may kindly recommend that:-

1. The Association be provided adequate and suitably sized office accommodation at Rail Bhawan for its PREM office at the Apex/Central level, at par with similarly placed members of the PREM Group;
2. Secretarial assistance, including a Stenographer and Office Assistant, may kindly be provided for the effective functioning of the PREM office;
3. A functional computer, printer, photocopying machine and other essential office equipment may kindly be provided and maintained in proper working condition;
4. Since the PREM office has recently been renovated, new furniture, almirahs / cupboards and other necessary office infrastructure may kindly be provided without further delay;
5. All other facilities available to the other members of the PREM Group, including recognized trade unions and federations, may be extended to this Association without discrimination, in accordance with the instructions of the Railway Board; and
6. The Railway Administration may be directed to strictly comply with the Railway Board's instructions regarding Quarterly Meetings of the PREM Group at every level, and such meetings may be conducted regularly and mandatorily. At the Apex/Central level, the quarterly meetings should be held regularly with the participation of the Association.

These measures are essential to ensure meaningful participation of the Association in the PREM mechanism and to enable it to effectively contribute towards the welfare of SC/ST Railway employees and development of the Indian Railways.

(xi) Provision of Residential Accommodation to the President and General Secretary of Central Executive Committee of the Association at New Delhi

The President and General Secretary of Central Executive Committee of the Association are required to frequently visit New Delhi for discharging their organizational responsibilities, attending meetings with the Railway Board and Ministry of Railways, pursuing matters concerning SC/ST Railway employees and participating in various discussions relating to the implementation of the reservation policy of the Government of India.

However, residential accommodation at New Delhi is not being provided to the President and General Secretary of Central Executive Committee of the Association, whereas such accommodation facilities are available to office-bearers of other members of the PREM Group, including recognized trade unions and federations.

The absence of such accommodation causes considerable inconvenience and financial burden to the office-bearers and adversely affects the smooth and effective functioning of the Association at the Central level.

It is, therefore, respectfully requested that suitable residential accommodation at New Delhi may kindly be provided to the President and General Secretary of Central Executive Committee of the Association on the same or similar terms and conditions as are applicable

to the office-bearers of other recognized trade unions / federations participating in the PREM Group, so as to facilitate the smooth and effective functioning of the Association.

2. Implementation of decision of the Hon'ble Supreme Court relating to reservation in promotion for SCs/STs and strictly compliance with the instructions and clarifications issued by DoPT and the Railway Board from time to time.

The validity of the 77th Constitutional Amendment Act, 1995 (clause 16(4A)) enabling the Govt. to provide reservation in promotion in favour of the SCs/STs and 85th Constitutional Amendment Act, 2001 to provide consequential seniority to the SC/ST candidates promoted by giving reservation was challenged before the Supreme Court in case of M. Nagaraj V/s UOI & Ors. The Supreme Court while deliberating on the issue of validity of the said Constitutional Amendments in M. Nagaraj V/s UOI & Ors., observed that the concerned State will have to show in each case the existence of the compelling reasons, namely, backwardness, inadequacy of representation and overall administrative efficiency before making provision for reservation in promotion.

Since, there is a difficulty in collection of quantifiable data showing backwardness of the class and inadequacy of representation of that class in public employment, DOP&T moved for the 117th Constitutional Amendment Bill, 2012 to substitute clause(4A) of Article 16, with a view to provide impediment-free reservation in promotion to the SCs/STs and to bring certainty and clarity in the matter. The above bill was passed in the Rajya Sabha but not passed in Lok Sabha. However, the said Bill passed in Rajya Sabha now stand lapsed.

Neither the then Govt. of India has been followed the decision of Hon'ble Supreme Court in case of M. Nagaraj by undertaken the exercise on these three points nor passed the 117th Constitutional Amendment Bill in Lok Sabha to negate the above decision to continue the reservation in promotion for SCs & STs in true spirit of the provisions of the Constitution of India which was passed by the Rajya Sabha which caused the litigation in the all Ministries / Departments and the SC & ST Employees are being deprived from reservation in promotion.

Despite clear and binding judgments of the Hon'ble Supreme Court regarding reservation in promotion for employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as well as their entitlement to promotion against unreserved posts on the basis of their own merit and seniority, and despite repeated clarifications and detailed instructions issued by the Department of Personnel & Training (DoPT), Government of India, and the Ministry of Railways, Railway Board, the said judgments and instructions are not being implemented in their true spirit in various Zonal Railways and Production Units.

As a result, employees belonging to the SC/ST communities are being deprived of their legitimate constitutional and legal rights in matters of promotion. Such non-compliance is also giving rise to unnecessary disputes and a large number of court cases against the Railway administration.

A particularly serious instance has come to our notice in Metro Railway, Kolkata, where Ms. Preeti Katiyar, Principal Chief Personnel Officer (PCPO), has reportedly refused to comply with the aforesaid judgments of the Hon'ble Supreme Court and the instructions / clarifications issued by DoPT and the Ministry of Railways, Railway Board concerning reservation in promotion and promotion on the basis of own merit and seniority.

It is pertinent to mention that a similar situation had arisen during her tenure at Patiala Locomotive Works, Patiala, and the same issue is now being repeated in Metro Railway, Kolkata.

The attitude of such officers, who fail or refuse to implement the binding judgments of the Hon'ble Supreme Court and the instructions issued by the competent authorities of the Government of India and Ministry of Railways, Railway Board, is a matter of serious concern. Such an approach not only adversely affects the constitutional rights and legitimate interests of SC/ST employees but also results in avoidable litigation and administrative complications across the Zonal Railways and Production Units.

It is further a matter of serious concern that, due to such arbitrary and non-uniform implementation of the reservation policy, numerous court cases are being generated in different Zonal Railways & Production Units. In several such cases, effective legal representation is also not being ensured on behalf of the Railway administration. Appropriate cases are not being entrusted to experienced and competent Senior Advocates despite the importance of the issues involved. Consequently, the interests of both the affected employees and the Railway administration are adversely affected.

Therefore, we respectfully request the Hon'ble Parliamentary Committee to:-

1. Take serious cognizance of the matter and ensure strict and uniform implementation of all applicable judgments of the Hon'ble Supreme Court relating to reservation in promotion for SC/ST employees and promotion against unreserved posts on the basis of their own merit and seniority.
2. Direct the Ministry of Railways, Railway Board and all Zonal Railways and Production Units to strictly comply with the instructions and clarifications issued by DoPT and the Railway Board from time to time on the subject.
3. Conduct a high-level review / audit of the implementation of reservation in promotion in all Zonal Railways and Production Units and fix responsibility wherever non-compliance or deliberate violation of the applicable instructions is found.
4. Order an impartial and high-level inquiry into the conduct of Ms. Preeti Katiyar, PCPO, Metro Railway, Kolkata, particularly regarding the allegations of refusal / non-compliance with the judgments of the Hon'ble Supreme Court and the instructions of DoPT and Ministry of Railways, Railway Board. Appropriate disciplinary action may be recommended if the allegations are found to be substantiated.
5. Recommend strict administrative action against officers who deliberately fail or refuse to implement the binding judgments of the Hon'ble Supreme Court and the applicable instructions issued by DoPT / Ministry of Railways, Railway Board.
6. Direct the Ministry of Railways, Railway Board to issue clear and time-bound instructions to all Zonal Railways and Production Units so that SC/ST employees are not deprived of their legitimate rights due to differing or arbitrary interpretations of the reservation policy.
7. Ensure that in all pending and future court cases concerning reservation in promotion and related service matters, the Railway administration provides effective and competent legal representation, including engagement of experienced Senior Advocates wherever necessary, in order to protect the interests of both the employees and the Government.
8. Ensure that no Zonal Railway and Production Unit adopts an arbitrary, inconsistent or contrary interpretation of the judgments of the Hon'ble Supreme Court or the reservation policy of the Government of India.

The constitutional safeguards and reservation policy for Scheduled Castes and Scheduled Tribes can achieve their intended purpose only when the concerned authorities

faithfully and uniformly implement the judgments of the Hon'ble Supreme Court and the instructions issued by DoPT and the Railway Board.

We, therefore, earnestly request the Hon'ble Parliamentary Committee to intervene in this serious matter and take appropriate measures to ensure strict compliance with the reservation policy of the Government of India and the binding judgments of the Hon'ble Supreme Court, and to recommend appropriate and stringent action against officers found responsible for deliberate non-compliance.

3. Promotion of SC/ST Railway Employees Strictly as per Reservation Roster Points

The Ministry of Railways, Railway Board, vide Para VI/2(vii)(e) of Master Circular No. 51, has clarified that an SC/ST candidate who is junior in the panel can be appointed / promoted earlier than a senior candidate belonging to the general category if the reserved roster point falls earlier. However, these instructions are not being uniformly followed by the Zonal Railways and Production Units.

The Railway Board, vide letter No. 2018-E(SCT)1/25/9 dated 14.03.2024, further clarified the procedure regarding promotion from a panel and stated that:-

“once a panel is formed, the promotions subject to availability of vacancies are strictly to be done as per the panel position i.e. the panel position is to be maintained till it is fully exhausted and the candidates appearing in the panel have to wait till their turn to come. The senior most SC candidates appearing in the top of panel against UR slot owing to own merit cannot be penalized/left out due to non-availability of UR vacancy and the SC candidates appearing at the bottom against SC quota cannot be given any preference of promotion on the ground that the SC vacancies are readily available. They have to wait for their turn to come.”

Further, Ministry of Railways, Railway Board vide letter No.2018-E(SCT)1/25/9 dated 06.01.2026, clarified that ***“the roster points are only for assessment of vacancies. Once a promotional panel is formed, the promotions are to be done as per the panel position i.e. the panel position is to be maintained till it is fully exhausted. The candidates (including SCs/STs) appearing in the panel will have to wait till their turn to come.”***

The Railway Board's clarification dated 14.03.2024 was issued in the context of a specific case, wherein a senior employee belonging to a reserved category had been empanelled against a General (UR) post arising against an anticipated vacancy, while a junior employee belonging to a reserved category had been empanelled against an existing reserved post.

However, the Railway Board, vide its subsequent letter dated 06.01.2026, appears to have extended the principle applicable to that specific case to all cases, by directing that promotions should be regulated on the basis of the panel position instead of the prescribed reservation roster.

Such a general application of the clarification is not in conformity with the fundamental principles governing the maintenance and operation of the reservation roster. The roster is intended to determine the category-wise utilization of identified reserved points / vacancies, and the mere position of an employee in the selection panel cannot, by itself, substitute or override the roster point against which a vacancy is required to be filled.

The clarification dated 14.03.2024, being based on the facts and circumstances of a particular case, cannot appropriately be treated as a general principle for dispensing with the reservation roster in every case. Extending the same reasoning through the letter dated 06.01.2026 may adversely affect the prescribed reservation for SC/ST employees and may result in reserved roster points being filled without due regard to the applicable roster position.

A specific instance may be cited from Rajkot Division of Western Railway. The DRM(E), Rajkot Division, vide letter No. ED/1025/2/2 Part-II dated 24.09.2024, assessed six vacancies for promotion to the post of Chief Office Superintendent (Ch.OS), Level-8, comprising three UR, two SC and one ST vacancies. Four employees were empanelled, out of whom the employees at Sl. Nos. 1 and 2 were promoted, while the employees at Sl. Nos. 3 (UR) and 4 (SC) remained awaiting promotion. At that stage, one SC vacancy was readily available. However, the employee at Sl. No. 4 belonging to SC was not promoted and was required to wait for the next UR vacancy, which was expected after July 2025. Subsequently, the GM(E)/WR/CCG, vide letter No. E(SCT)220/0 Vol. X dated 20.12.2024, advised that promotion orders of employees of Group 'C' and Group 'B' were being issued according to the panel position.

This approach, where the availability of a reserved vacancy does not result in promotion of an eligible SC/ST employee because of the panel position, needs to be examined in the light of the specific provisions of the reservation roster and the Railway Board's Master Circular No. 51.

The Association submits that the reservation roster is intended to ensure that the reserved points are duly utilized by eligible SC/ST employees. Any ambiguity in the implementation of panel position vis-à-vis roster points may adversely affect the actual representation of SC/ST employees in promotional posts.

The Hon'ble Parliamentary Committee is, therefore, requested to recommend that the Ministry of Railways, Railway Board, may kindly review / reconsider the instructions contained in the letter dated 06.01.2026 and clarify that promotions shall continue to be regulated strictly in accordance with the prescribed reservation roster may issue a clear and unambiguous clarification regarding the interplay between panel position and reservation roster points, and ensure strict and uniform implementation of Para VI/2(vii)(e) of Master Circular No. 51, so that an eligible SC/ST candidate is promoted against the applicable reserved roster point in accordance with the reservation policy and the extant rules.

4. Non-Implementation of Ministry of Railways, Railway Board's Policy Regarding Transfer and Posting of SC/ST Railway Employees and Framing of Inconsistent Local Transfer Policies at Zonal/Divisional Level

The Ministry of Railways, Railway Board has issued specific instructions from time to time with a view to safeguarding the interests of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Railway employees in matters of transfer and posting. As per the extant policy, due consideration is required to be given to posting SC/ST employees near their native places. Further, where a vacancy is available at the same station, an SC/ST employee should, as far as practicable, be posted at the same station on promotion. Their transfers are also required to be made only in exceptional circumstances and for strong and compelling administrative reasons.

However, these instructions are reportedly not being implemented uniformly by the Zonal Railways and Production Units. In several instances, local transfer policies such as

name noting policy have been framed at the Zonal / Divisional level which have the effect of diluting, restricting or superseding the policy and instructions issued by the Ministry of Railways, Railway Board.

Such divergent local practices result in unequal treatment of SC/ST employees and defeat the very purpose of the protective measures prescribed by the Ministry of Railways, Railway Board. A subordinate administrative authority should not adopt a local policy which is inconsistent with, or has the effect of overriding, the extant policy and instructions of the competent Railway Board authority.

It is, therefore, requested that the Ministry of Railways, Railway Board may issue clear and uniform instructions to all Zonal Railways and Production Units to ensure that:

1. SC/ST Railway employees are posted, as far as practicable, near their native places;
2. Where a vacancy is available at the same station, SC/ST employees are considered for posting at the same station on promotion, subject to applicable rules and administrative requirements;
3. SC/ST employees are not ordinarily transferred out of their station in the same grade except in exceptional circumstances and for strong and compelling administrative reasons;
4. No Zonal Railway or Division frames or implements a local transfer policy which is inconsistent with or dilutes the extant policy/instructions of the Ministry of Railways, Railway Board; and
5. A uniform policy relating to transfer and posting of SC/ST employees is implemented throughout Indian Railways.

The Hon'ble Parliamentary Committee is requested to recommend appropriate directions to the Ministry of Railways, Railway Board for strict and uniform implementation of its policy regarding transfer and posting of SC/ST Railway employees and for review / withdrawal of any local instructions found to be inconsistent with the Railway Board's extant policy.

5. Review and Withdrawal of Instructions issued by North Western Railway Regarding Inter-Railway Own-Request and Mutual Transfers of SC/ST Railway Employees

In terms of the extant procedure contained in Paras 102-A, 310 and 312 of the Indian Railway Establishment Manual, Volume-I, 1989, read with administrative instructions issued from time to time, request transfers from one seniority unit to another are permitted on mutual exchange basis in any grade, with the employee being assigned the lower of the two relevant seniorities, as applicable under the rules.

Pursuant to the order dated 07.06.2005 of the Hon'ble High Court of Kerala at Ernakulam in O.P. No. 2150/2002 and the directions of the Central Administrative Tribunal, Ernakulam Bench, in O.A. No. 612/2005, the Ministry of Railways, Railway Board modified the relevant provisions vide letter No. E(NG)-I-2014/TR/16 dated 14.08.2007 (RBE No.107/2007). Para 3 thereof provided that, in order to avoid hardship to staff in the feeder

grade in the matter of promotion, mutual exchange transfers should ordinarily be permitted between employees belonging to the same category, i.e. General with General, SC with SC and ST with ST. Para 3.1 further clarified the position regarding transfers on bottom seniority in recruitment grades in relation to post-based rosters.

The Ministry of Railways, Railway Board subsequently issued further clarification vide letter No. E(NG)I-2014/TR/16 dated 22.10.2007 (RBE No. 134/2007), clarifying, inter alia, that since the instructions did not impose any restriction on transfers on request on bottom seniority in recruitment grades, mutual transfers in recruitment grades would also be permitted without such restriction.

However, the General Manager, North Western Railway, Jaipur, issued instructions vide letter No. 939-E/0/Transfer Policy dated 01.07.2016, laying down, inter alia, the following provisions:

- (i) **Inter Railway mutual transfer in Direct Recruitment (DR) grade:** Mutual transfer between employees belonging to the same community (Gen., OBC, SC or ST) is permitted.
- (ii) **Inter Railway Mutual Transfer in Promotional Categories:** The principal laid down in Railway Board's letter of August, 2007, provide for such transfers between 2 employees belonging to same community. The same will be implemented according to para i) above.
- (iii) **One way transfer from NW Railway to other Railways:** The one way transfer can be considered without any restriction subject to exigencies of work for the employees who have completed 5 years service on N.W.Railway as laid down by Railway Board.
- (iv) **One way transfer to NW Railway from other Railways on bottom seniority:** Such transfer will also be considered subject to a slot being available in destination unit for that community.

The above provisions, particularly the differential treatment between one-way transfers from North Western Railway to other Railways and one-way transfers from other Railways to North Western Railway, require immediate review. While employees seeking transfer from North Western Railway to other Railways have been permitted to seek such transfer subject to the stipulated conditions, employees seeking transfer to North Western Railway have been subjected to an additional restriction based upon the availability of a community-wise slot in the destination unit.

It is submitted that the judicial proceedings referred to above primarily concerned the issue of inter-Railway mutual transfers. Therefore, any restriction imposed upon inter-Railway own-request transfers must have an independent and specific authority under the applicable Railway Board rules and instructions. The Railway Board's instructions contained in RBE Nos. 107/2007 and 134/2007 have not, to the knowledge of the Association, been withdrawn or superseded. Accordingly, any local instruction that is inconsistent with the extant Railway Board instructions requires appropriate examination and corrective action.

It is further submitted that individual Zonal Railways should not ordinarily frame or enforce policies contrary to the rules and instructions issued by the competent authority of the Ministry of Railways, Railway Board. Different transfer conditions in different Zonal

Railways can lead to unequal treatment of similarly situated Railway employees and create avoidable hardship.

There is, therefore, a need for a uniform, transparent and non-discriminatory policy applicable throughout Indian Railways in respect of inter-Railway own-request and mutual transfers, particularly in the case of SC/ST employees.

The Hon'ble Parliamentary Committee is requested to recommend that the Ministry of Railways, Railway Board:-

- (i) Immediately review the legality and conformity of the instructions issued by GM(P), North Western Railway, Jaipur vide letter No. 939-E/0/Transfer Policy dated 01.07.2016;
- (ii) Withdraw, modify or suitably align the said instructions to the extent they are found inconsistent with the extant Ministry of Railways, Railway Board instructions;
- (iii) Ensure that RBE Nos. 107/2007 and 134/2007, and subsequent applicable instructions, are implemented uniformly;
- (iv) Prescribe a uniform policy for inter-Railway own-request and mutual transfers throughout Indian Railways; and
- (v) Ensure that SC/ST Railway employees are not subjected to discriminatory or additional restrictions not supported by the applicable Ministry of Railways, Railway Board rules and instructions.

6. Non-Imparting of Adequate and Proper Pre-Selection Training to Eligible SC/ST Railway Employees

The Ministry of Railways, Railway Board has issued instructions from time to time, pursuant to recommendations of the Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, for providing pre-selection training to eligible SC/ST employees so as to enable them to compete effectively in selections for promotion, particularly to Safety and Technical categories.

The purpose of such training is to provide eligible SC/ST employees with a reasonable opportunity to prepare for departmental selections and thereby facilitate effective implementation of the reservation policy in promotion.

However, the Association has observed that these instructions are not being implemented properly and uniformly by several Zonal Railways and Production Units. In many cases, adequate pre-selection training is not provided for the prescribed period of approximately 2–3 weeks, and training is not conducted at suitable training centres with trained instructors and a structured / prescribed syllabus.

The quality, duration and method of training are also reported to vary considerably between different Zonal Railways and Production Units. In particular, the practice of providing pre-selection training primarily or exclusively through online mode has not proved sufficiently effective for many eligible SC/ST employees, particularly where the selection involves technical, practical or safety-related subjects. Online training due to lack of suitable

mobile phones and proper network, the employees are not able to get the training properly and it remains nominal.

Inadequate training directly affects the preparedness and confidence of eligible SC/ST employees and may consequently contribute to their failure to qualify in departmental selections. Effective pre-selection training is therefore an important component of ensuring that the constitutional and administrative objectives of reservation are translated into meaningful opportunities for promotion.

It is, therefore, requested that the Ministry of Railways, Railway Board issue clear and mandatory instructions to all Zonal Railways and Production Units to ensure that:-

- (i) Eligible SC/ST candidates are provided pre-selection training before departmental selections wherever such training is prescribed;
- (ii) The training is conducted for an adequate period, preferably 2–3 weeks, in accordance with the applicable Railway Board instructions;
- (iii) Training is conducted at proper and suitable training centres rather than being routinely substituted by online training;
- (iv) Trained and competent instructors are deployed for imparting the training;
- (v) A structured and prescribed syllabus, study material and appropriate practical guidance are provided;
- (vi) Attendance and participation of eligible SC/ST candidates are properly recorded and monitored; and
- (vii) The implementation of pre-selection training is periodically reviewed at the Zonal Railway and Railway Board level to ensure uniformity and effectiveness.

The Hon'ble Parliamentary Committee is requested to recommend that the Ministry of Railways, Railway Board take time-bound corrective measures to ensure effective, adequate and uniform pre-selection training for eligible SC/ST Railway employees and to ensure that online training, wherever adopted, does not replace the prescribed classroom / practical training where such training is necessary for effective preparation.

7. Removal of the Five-Time Limitation for Calling Candidates for Selection to Reserved Group 'B' Posts

A substantial number of reserved Group 'B' posts, which are required to be filled through selection, are reportedly remaining vacant because the prescribed number of eligible SC/ST candidates is not available within the existing zone of consideration.

The restriction limiting the number of attempts / opportunities for calling eligible SC/ST employees for selection can adversely affect the filling of reserved vacancies. As a result, reserved posts may continue to remain vacant despite the availability of eligible SC/ST employees in the lower grades.

In order to ensure effective implementation of the reservation policy and to prevent continued accumulation of reserved vacancies, it is requested that the existing five-time limitation for calling eligible SC/ST candidates for selection to reserved Group 'B' posts may

be reviewed and suitably removed, subject to applicable rules and judicial/constitutional requirements.

Where the required number of eligible SC/ST candidates is not available within the prescribed zone of consideration, eligible SC/ST employees from progressively lower positions in the seniority list may be considered, up to the bottom of the relevant seniority, wherever legally and administratively permissible, so that reserved vacancies do not remain unfilled merely because of an inadequate zone of consideration.

The Hon'ble Parliamentary Committee is requested to recommend appropriate amendments to the existing instructions to ensure that adequate opportunities are provided to eligible SC/ST employees and that reserved Group 'B' posts are filled without avoidable delay.

8. Proper and Exclusive Functioning of Reservation Cells for SC/ST Employees at Railway Board, Zonal Railway, Production Unit and Divisional Levels

Reservation Cells were established primarily to assist the Liaison Officers in ensuring effective implementation of the reservation policy and to safeguard the interests of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in matters relating to recruitment, promotion, rosters, representation and other service-related issues.

However, the Reservation Cells dealing with SC/ST matters have subsequently been entrusted with additional responsibilities relating to other categories, including OBCs, EWS, PwBD and Minorities. This has substantially increased the workload of these Cells and has the potential to dilute the focused attention required for effective implementation of safeguards available to SCs and STs.

It is noteworthy that, in accordance with the directives issued by the Ministry of Railways, Railway Board, officers belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe categories holding Junior Administrative Grade (JAG) posts are required to be nominated as Liaison Officers in all establishments, including Zonal Railways and Production Units. However, these instructions are not being strictly adhered to in several cases and in many Zonal Railways and Production Units, officers of Senior Scale or Assistant Grade are being designated as Liaison Officers instead of eligible JAG-level SC/ST officers.

Such deviation from the Railway Board's prescribed guidelines adversely affects the effective functioning of the Reservation Cell and may also weaken the mechanism for monitoring the proper implementation of reservation policy for SCs/STs.

The Hon'ble Parliamentary Committee is, therefore, requested to recommend that the Ministry of Railways, Railway Board, may issue strict instructions to all Zonal Railways and Production Units to nominate eligible SC/ST officers of JAG level as Liaison Officers, as prescribed, and ensure that they are entrusted primarily with the functions of the Reservation Cell without assigning unrelated additional duties, so that they can effectively discharge their responsibilities for ensuring proper implementation of the reservation policy and protection of the interests of SC/ST Railway employees. I can also make this paragraph more forceful and legally framed so that it fits seamlessly with Point 19 on proper maintenance and inspection of Reservation Rosters.

The constitutional and statutory basis, historical circumstances and specific safeguards relating to SCs and STs are distinct from the policy framework applicable to other categories. Therefore, the specialized machinery created for monitoring the implementation

of SC/ST reservation should have adequate manpower and should primarily remain focused on matters concerning SC/ST employees.

The Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has also recommended that the staff posted in the Reservation Cell should be exclusively engaged in matters relating to the welfare and interests of SCs and STs and that the Liaison Officer should not simultaneously be burdened with responsibilities relating to other categories where such additional charge adversely affects the effective discharge of SC/ST-related duties.

It is, therefore, requested that the Ministry of Railways, Railway Board may take the following measures:-

- (i) Ensure the proper and effective functioning of dedicated SC/ST Reservation Cells at the Railway Board, Zonal Railway, Production Unit and Divisional levels;
- (ii) Ensure nominating officers belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe categories holding Junior Administrative Grade (JAG) posts as Liaison Officers in all establishments;
- (iii) Ensure that the primary responsibility of such Reservation Cells remains the effective implementation of reservation policy and safeguards relating to SCs and STs;
- (iv) Avoid entrusting the Reservation Cell and the designated Liaison Officer with additional responsibilities which adversely affect the effective discharge of SC/ST-related functions;
- (v) Provide adequate manpower commensurate with the workload and responsibilities of the Reservation Cell; and
- (vi) Ensure that sufficient posts / staff, including Chief Office Superintendent (Ch.OS), Office Superintendent (OS), Senior Clerks, Clerks, Chief Personnel Inspector (CPI) and Chief Law Assistant (CLA), wherever required, are sanctioned and deployed for effective functioning of the Reservation Cell.

The Hon'ble Parliamentary Committee is requested to recommend that the Ministry of Railways, Railway Board establish and maintain an effective, adequately staffed and dedicated institutional mechanism for SC/ST reservation matters at all appropriate levels of Indian Railways and ensure periodic monitoring of its functioning.

9. Restoration of Provision for Alternative Appointment of SC/ST Direct Recruits Declared Medically Unfit for the Selected Category

The Railway Board, vide its letters No. E(SCT)58CM1/2/13 dated 25.11.1958 and 10.06.1959 and letter No. E(SCT)15/5 dated 13.02.1976, issued instructions providing, inter alia, that Scheduled Caste and Scheduled Tribe direct recruits selected for a particular category, but subsequently declared medically unfit for that category, may be considered for appointment against other categories for which they are medically fit, particularly where reserved vacancies/shortfall existed, subject to the prescribed conditions and the powers vested in the General Manager.

It is understood that these instructions were initially introduced specifically for SC/ST candidates and were subsequently extended to candidates belonging to the General category. The subsequent withdrawal of this beneficial provision has adversely affected SC/ST candidates who, despite having successfully qualified in the recruitment process, are unable to secure appointment solely because they have been found medically unfit for the particular category for which they were initially selected.

Where such candidates are medically fit for another available category and possess the requisite educational and other qualifications, denial of an opportunity for alternative appointment may result in the loss of trained and otherwise eligible human resources, besides adversely affecting the interests of SC/ST candidates.

The original purpose of the provision was to provide an alternative avenue to SC/ST candidates who had already been selected but could not be appointed to the originally allotted category on medical grounds. The Association therefore submits that the matter deserves reconsideration, particularly in cases where suitable alternative posts are available and the candidate fulfils the prescribed medical and other eligibility requirements.

It is, therefore, requested that the Ministry of Railway, Railway Board may review the withdrawal of the earlier provision and consider restoring a suitable mechanism for alternative appointment of SC/ST direct recruits who are declared medically unfit for the category for which they were initially selected but are medically fit for another suitable category, subject to availability of posts, prescribed qualifications, medical standards and other applicable rules.

The Hon'ble Parliamentary Committee is requested to recommend that the Ministry of Railways, Railway Board examine this issue sympathetically and take appropriate steps to restore a suitable protective provision for eligible SC/ST medically de-categorized candidates.

10. Recruitment to Group 'D' / Level-1 Posts on Regional Basis Instead of an All-India Basis

The issue of recruitment to entry-level Group 'D' / Level-1 posts requires special consideration in view of the nature of duties, comparatively lower pay levels and the predominantly local/regional character of the workforce required for such posts.

The reservation percentages applicable in certain regions also differ from the reservation percentages applicable to direct recruitment on an all-India basis. For example, in the North-Eastern region falling under the jurisdiction of Northeast Frontier Railway, the reservation position for SCs/STs has historically been different from the all-India percentage. Similarly, the reservation position applicable in Rajasthan, falling largely under the jurisdiction of North Western Railway, also differs from the all-India percentages.

Group 'D' / Level-1 employees generally belong to lower-income sections of society. Requiring such employees to serve far away from their native State or region can impose considerable financial and social hardship because of expenditure on accommodation, food, travel and other living expenses. In many cases, the employee may also be unable to provide adequate financial and family support to dependent parents and other family members.

The Association therefore submits that recruitment to such entry-level posts should take into account the regional character of employment, local socio-economic conditions and

the practical difficulties faced by low-paid employees. A regional recruitment mechanism would also provide greater opportunities to eligible candidates belonging to SC/ST communities in the regions where the posts are located.

It is, therefore, requested that the Ministry of Railways, Railway Board may review the existing system of recruitment to Group 'D' / Level-1 categories and consider restoring / introducing recruitment on a regional basis, rather than an unrestricted all-India basis, wherever legally and administratively feasible and consistent with constitutional requirements.

Such a policy should also ensure that the applicable reservation percentages and other constitutional safeguards for SCs and STs are fully protected and implemented in the respective regions.

The Hon'ble Parliamentary Committee is requested to recommend that the Ministry of Railways, Railway Board examine the feasibility of regional-basis recruitment for Group 'D' / Level-1 posts, particularly keeping in view the low pay structure, local nature of such employment and the socio-economic interests of SC/ST candidates.

11. Revision of Brochure on the Reservation for Scheduled Caste and Scheduled Tribe in Railway Services.

The Brochure on the Reservation for SCs/STs in Railway Services was last updated in 1984 and the 3rd Edition (1985) of the same was printed in 1986. A number of policy letters on the reservation for SCs/STs has undergone changes after 1986 which have been issued from time to time. Some of the instructions/guidelines has been discontinued or superseded. Further, with the introduction reservation for OBCs in Government Services w.e.f. 8.09.1993, a number of policy letters / instruction have been issued by the Ministry of Railways, Railway Board in the matters of reservation for OBCs & EWS in direct recruitment in Railway Services which needs to be included in the above Brochure

The then Hon'ble Minister for Railways had accorded his approval for formation of the Committee to revise the Brochure on the Reservation for SCs/STs in Railway Service with its Chairman & five Members vide notification No.ERB-I/2014/23/9 dated 17.02.2014 with the target of publication within a period of six months. Meanwhile, the above Committee has been dissolved by the Ministry of Railways though the Committee has already been completed more than 50% work of revision of above broacher.

The Hon'ble Parliamentary Committee is requested to recommend that the Ministry of Railways, Railway Board to nominate another Committee or depute the officers & staff to complete the left over work of revision of Brochure on the Reservation for SCs/STs in Railway Services.

12. Provision of Gate Pass to the Office Bearers of the Association for Entry into Rail Bhawan

As per the instructions issued by the Ministry of Railways, Railway Board, the office bearers of the All India SC & ST Railway Employees Association are entitled to the gate pass facility extended to the Association. However, in respect of entry into Rail Bhawan, temporary Gate Passes are presently being issued to the office bearers of the Central Executive Committee only for a limited period of six months, instead of for the tenure of the elected office, i.e. three years at the Central level. This results in considerable difficulty for the office bearers in entering Rail Bhawan for the day-to-day functioning of the Association and for pursuing service-related grievances and policy matters concerning SC/ST Railway employees.

The Association is a member of the PREM (Participation of Railway Employees in Management) Group, and its PREM Office is situated in Room No. 7 (GF), Ground Floor, Rail Bhawan. The office bearers of the Central Executive Committee are required to visit the Railway Board frequently for meetings and discussions with senior Railway Board officials on various issues relating to the welfare, reservation and service matters of SC/ST Railway employees. The requirement of obtaining / revalidating temporary Gate Passes at short intervals causes avoidable difficulties and hampers the effective functioning of the Association.

It is pertinent to mention that the PREM offices of other members of the PREM Group, namely AIRF and NFIR, are situated inside Rail Bhawan and their office bearers are provided permanent / long-term Gate Passes for entry into Rail Bhawan. The denial of similar facilities to this Association, despite its membership of the PREM Group and the Railway Board's decision to extend facilities to it at par with other PREM Group members, amounts to discriminatory treatment.

The Hon'ble Parliamentary Committee is, therefore, requested to recommend that the Ministry of Railways, Railway Board, may provide Gate Passes to the office bearers of the Central Executive Committee of the Association for entry into Rail Bhawan for a period of at least one year, or for such longer period as is permissible under the applicable security arrangements, in line with the facility extended to other PREM Group members and concerned Railway Board officials.

13. Proper Maintenance of Reservation Rosters at Divisional, Workshop, Stores and ADEN Levels and Regular Inspection of Roster Registers

The Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, in its 8th Report, vide Para 1.26, recommended that the roster is the mechanism for monitoring the adequate representation of SCs/STs in Government services and that the responsibility for maintenance of rosters should be entrusted to capable and experienced staff to ensure their proper maintenance.

The above recommendation was examined and accepted by the Ministry of Railways, Railway Board. In pursuance thereof, the Ministry of Railways, Railway Board, vide letter No. 96E(SCT)/80/1 Part-I dated 18.09.1998, issued instructions regarding the welfare of SCs/STs, emphasizing that rosters are, in fact, the mirror of an organization and should reflect a clear picture of the representation of SCs/STs. It was further directed that rosters should be properly maintained and checked by the competent authority at regular intervals.

However, these instructions are not being implemented effectively at various levels of the Indian Railways. In particular, the roster registers maintained at Zonal, Divisions, Workshops, Stores, ADEN offices and other field units are not being inspected and verified at regular intervals by the competent authorities. This results in discrepancies and makes it difficult to ensure the correct implementation of the reservation policy.

Further, as per the instructions of the Ministry of Railways, Railway Board, the Liaison Officer is required to be designated primarily for the work of the Reservation Cell. However, it has been observed that in several Zonal Railways, Liaison Officers are entrusted with other duties as well, due to which they are unable to devote adequate time to the inspection and verification of roster registers at Divisional, Workshop and other Unit levels.

It is also submitted that the Ministry of Railways, Railway Board's instructions clarify that reservation rosters are not confidential documents and may be inspected for verification of reservation points. However, rosters are now being maintained through HRMS, and the

existing system does not provide adequate access to enable the Association to examine the roster points and verify the proper implementation of reservation at different levels.

The Hon'ble Parliamentary Committee is, therefore, requested to recommend that the Ministry of Railways, Railway Board, may issue strict instructions for:-

1. Proper and accurate maintenance of reservation rosters at Zonal, Divisional, Workshop, Stores, ADEN and other Unit levels;
2. Regular inspection and verification of roster registers by competent authorities;
3. Posting/designation of dedicated and adequately trained Liaison Officers for Reservation Cell work;
4. Ensuring that Liaison Officers are not burdened with unrelated duties which adversely affect reservation-related inspections;
5. Providing an appropriate mechanism in HRMS or otherwise through which authorized representatives of the Association may verify reservation roster points; and
6. Ensuring that grievances of SC/ST Railway employees relating to reservation and roster implementation are promptly examined and redressed.

14. Restoration of the Rule of Exchange of Reserved Vacancies between SCs and STs

Previously, where a vacancy reserved for a particular reserved category, i.e. SC or ST, could not be filled because a suitable candidate belonging to that particular category was not available, despite applying the prescribed relaxations and concessions, provision existed for consideration of a candidate belonging to the other reserved category, subject to the applicable rules.

The system of exchange was intended to ensure that the overall reservation provided to SCs and STs, taken together, was effectively utilized. In cases where a reserved vacancy remained unfilled for the prescribed period, an SC reserved vacancy could be filled by an ST candidate, or an ST reserved vacancy could be filled by an SC candidate, subject to the condition that the total reservation for SCs and STs together did not exceed the prescribed 22.5% (15% for SCs and 7.5% for STs).

Such exchange was also applicable in certain Group 'B' selection posts in the same selection, while in other cases the exchange was permissible in the third subsequent recruitment year, as per the applicable instructions.

Subsequently, however, the practice of exchange of reserved vacancies between SCs and STs was discontinued on the ground that such exchange might result in an increase in the individual percentage of reservation of one community.

It is respectfully submitted that the exchange of vacancies between SCs and STs is an internal adjustment between the two constitutionally recognized reserved categories and does not result in any increase in the combined reservation beyond the prescribed ceiling of 22.5%. The purpose of such a mechanism is to prevent reserved vacancies from remaining unfilled when an eligible candidate from one of the two reserved communities is available.

The discontinuation of the exchange mechanism has adversely affected the utilization of reserved vacancies and has resulted in reserved posts remaining vacant for prolonged periods.

The Hon'ble Parliamentary Committee is, therefore, requested to recommend that the Ministry of Railways, Railway Board, may review the matter and restore the Rule of Exchange of reserved vacancies between SCs and STs, subject to the condition that the combined reservation for SCs and STs remains within the prescribed 22.5% quota, so that reserved vacancies do not remain unnecessarily unfilled.

15. Provision of Appropriate Training to the Office Bearers of the All India SC & ST Railway Employees Association

The operative paragraph of Recommendation No. 18 of the 4th Report of the Parliamentary Committee on the Welfare of SC/ST for the year 1981-82, circulated by the Ministry of Railways, Railway Board, vide letter No. 85-E(SCT)/74/1 dated 10.10.1985, provides as follows:

«“Office Bearers of the Association of SC/ST employees should also be exposed to such training so that they become enlightened and selective in submitting complaints on grievances in service matter to the appropriate authorities.”»

The above recommendation recognizes the importance of imparting appropriate training to the office bearers of SC/ST employees' associations so that they may properly understand service rules, reservation policy and the appropriate procedure for raising genuine grievances before the competent authorities.

However, no dedicated and structured training programme for the office bearers of the Association is presently being conducted at the Zonal Railway Training Institutes (ZRTIs). Further, the existing training programmes at ZRTIs are primarily related to railway operations, safety and other departmental requirements, and there are limited training slots, classrooms and suitable faculty available for conducting specialized programmes for the office bearers of the Association.

In view of these constraints, the Association has, from time to time, organized training programmes at the Apex/Central level by making its own arrangements for training, boarding and lodging of participants and by inviting experts and suitable faculty to impart training on reservation policy, service matters and related issues. However, Zonal Railways and Production Units are generally not permitting the Association to organize such training programmes at suitable locations.

It is respectfully submitted that providing systematic training to the office bearers of the Association would not only strengthen the effective implementation of the reservation policy but would also enable the office bearers to raise genuine grievances in a more informed, constructive and legally appropriate manner, thereby reducing avoidable correspondence and disputes.

The Hon'ble Parliamentary Committee is, therefore, requested to recommend that the Ministry of Railways, Railway Board, may issue necessary instructions to all Zonal Railways and Production Units to:

1. Conduct suitable training programmes for the office bearers of the Association at ZRTIs, wherever feasible, with appropriate faculty and training facilities;

2. In case suitable facilities are not available at ZRTIs, permit the Association to organize such training programmes at other suitable locations of its choice;
3. Permit the Association to make its own arrangements for faculty, training material, boarding and lodging of participants;
4. Provide necessary administrative cooperation and facilitate the participation of office bearers in such programmes; and
5. Permit such training programmes for a period of up to fifteen days, wherever considered necessary, so that the office bearers may acquire adequate knowledge of reservation policy, service rules, roster maintenance, promotional matters and procedures for submission of grievances before the appropriate authorities.

Such training would be in the larger interest of effective implementation of the constitutional safeguards and reservation policy for SCs/STs in the Indian Railways.

16. Regarding the adverse impact of privatization, outsourcing and the contract system in Indian Railways on reservation and employment opportunities for SC/ST employees.

The unjustified and increasing practice of privatization, outsourcing and introduction of the contract system in various activities of Indian Railways is adversely affecting the constitutional safeguards and employment opportunities available to employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

The reservation policy of the Government of India has been formulated with the primary objective of ensuring adequate representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Government services. However, when regular Railway activities and posts are increasingly shifted to private agencies through privatization, outsourcing and contractual arrangements, the benefits of reservation are effectively denied to these communities, as the existing reservation provisions applicable to Government employment do not generally extend to private-sector employment.

Indian Railways is not merely a commercial organization; it performs an important public-service and welfare-oriented role and provides an essential service to the citizens of the country. Excessive and unjustified privatization and outsourcing of Railway activities may adversely affect this fundamental public-service objective and also reduce the scope of regular employment opportunities in the Railways.

The practice of outsourcing and contractual system is particularly concerning where essential and safety-related Railway activities are entrusted to private contractors without adequate consideration of the long-term implications for Railway safety, accountability, supervision, training and operational efficiency. Railway safety must remain the paramount consideration in any decision relating to restructuring, outsourcing or privatization of Railway activities.

Furthermore, the large-scale transfer of regular Railway work to private agencies has a direct bearing on the effective implementation of the reservation policy for SCs and STs. As employment opportunities in regular Railway services are reduced, the avenues through which these communities can obtain their constitutionally intended representation in Government service are correspondingly diminished.

Therefore, we respectfully request the Hon'ble Parliamentary Committee to:-

1. Examine and review the practice of privatization, outsourcing and contractual system of Railway activities, particularly where such practices result in the reduction of regular employment opportunities.
2. Recommend that unjustified outsourcing and privatization of regular and essential Railway activities be discontinued, particularly in areas involving Railway safety and core operational functions.
3. Ensure that any decision to outsource or privatize Railway activities is taken only after a comprehensive assessment of its impact on Railway safety, employment, accountability, public interest and the constitutional reservation policy.
4. Recommend to the Ministry of Railways that, wherever Railway activities are necessarily entrusted to private agencies or contractors, appropriate and enforceable provisions for reservation for SCs and STs be incorporated in the relevant contracts, tenders and outsourcing arrangements, in accordance with applicable law and Government policy.
5. Ensure that outsourcing and contractual arrangements do not become a means of circumventing the constitutional objective of providing adequate representation to SCs and STs in employment connected with public services.
6. Direct the Ministry of Railways to undertake a comprehensive review of the number and nature of regular Railway posts/activities that have been abolished, surrendered, outsourced or converted into contractual work, and assess the consequent impact on SC/ST representation.
7. Give due consideration to the fact that Railway safety and public interest must take precedence over commercial considerations while deciding whether any Railway activity should be privatized, outsourced or entrusted to contractors.

In view of the above, the Hon'ble Parliamentary Committee is earnestly requested to take appropriate cognizance of the matter and recommend necessary measures to protect the constitutional rights of SC/ST communities, preserve regular employment opportunities in Indian Railways, safeguard Railway safety and ensure that the public-service and welfare objectives of Indian Railways are not compromised in the name of privatization, outsourcing or contractual system.

17. Revision of the Percentage of Reservation in Proportion to the Population of SCs and STs

As per the Census of 1991, the population of Scheduled Castes in the country had increased from 15.47% to 16.00%, while the population of Scheduled Tribes had increased from 7.85% to 8.08%. Further, as per the 2011 Census, the population of SCs stood at 16.20% and that of STs at 8.20% and now it become approximate 17% SCs and 9% STs.

Despite this increase in the population of SCs and STs, the Government of India continues to follow the existing reservation percentages of 15% for SCs and 7.5% for STs in Central Government services. The reservation percentage should therefore be revised immediately in proportion to the population figures reflected in the 2011 Census immediately and further revise as per population figures of ongoing Census, so that adequate representation of these communities is ensured in Government services.

It is pertinent to mention that reservation of seats for SCs and STs in Parliament, State Legislative Assemblies and Panchayati Raj Institutions has been linked with their

population. Therefore, a similar principle of population-based representation should also be adopted in Government employment.

The Hon'ble Parliamentary Committee is therefore requested to recommend immediate revision of the reservation percentage for SCs and STs in Central Government services in accordance with their population.

18. Enactment of a Comprehensive Reservation Act and Inclusion in the Ninth Schedule of the Constitution.

It has been observed that the reservation policy and various provisions intended to safeguard the interests of SCs and STs are frequently challenged before different courts, resulting in prolonged litigation, uncertainty and difficulties in the uniform implementation of the constitutional reservation policy.

There is, therefore, an urgent need for enactment of a comprehensive Reservation Act to provide a clear, uniform and statutory framework for the implementation of reservation for SCs and STs in education, employment and other relevant fields.

The proposed Reservation Act may also be considered for inclusion in the Ninth Schedule of the Constitution of India, subject to constitutional and legal requirements, so as to provide greater stability and protection to the reservation policy and prevent its implementation from being repeatedly disrupted by prolonged litigation and differing judicial interpretations.

The Hon'ble Parliamentary Committee is therefore requested to recommend the early enactment of a comprehensive Reservation Act and appropriate constitutional protection for the same.

19. Reservation in the Private Sector

A stage has now been reached where a substantial proportion of employment opportunities are being generated outside the traditional Government sector. Various corporate bodies, companies, societies, cooperative organizations and other institutions established under law, including organizations receiving institutional finance or financial assistance from public institutions and entities established with foreign collaboration, should be required to ensure adequate representation of SCs and STs in employment opportunities.

The constitutional objective of social justice and adequate representation of SCs and STs should not be defeated merely because employment opportunities are shifted from the Government sector to private or corporate institutions.

The policy of reservation for SCs and STs should therefore be extended to the private sector in a phased and legally enforceable manner, covering appropriate private organizations, corporate bodies and other institutions, particularly those substantially benefiting from public resources, Government concessions, institutional finance or public infrastructure.

The Hon'ble Parliamentary Committee is requested to recommend appropriate legislative and policy measures for ensuring adequate representation of SCs and STs in private-sector employment.

20. Implementation of the L-Type Roster System in Single-Post Cadres

The instructions issued by the Department of Personnel & Training (DoPT) that reservation does not apply to cadres consisting of a single post have resulted in serious difficulties for SC/ST employees, particularly in cases where such posts are filled through promotion.

There are several single-post cadres in Government services where candidates belonging to the General Category have historically occupied such posts through promotion, while SC/ST employees have been deprived of their legitimate opportunities for representation and advancement.

The present system requires reconsideration in the interest of social justice and equal opportunity. The L-Type roster system should be implemented, wherever legally permissible, for single-post cadres so that the constitutional objective of reservation is not defeated.

Alternatively, similar or equivalent single-post cadres may be clubbed into an appropriate common cadre, wherever administratively and legally feasible, for the purpose of applying reservation.

The Hon'ble Parliamentary Committee is therefore requested to recommend suitable amendments to the existing instructions so that SC/ST employees are not deprived of their legitimate promotional opportunities merely because a post happens to constitute a single-post cadre.

21. Provision of Reservation in Ex-Cadre Posts

As per the existing instructions of DoPT, reservation is generally not applicable to certain ex-cadre posts filled through deputation. This has the effect of depriving eligible SC/ST employees and officers of opportunities to serve in such important posts.

There is a need to review this policy and provide appropriate representation to SC/ST employees and officers in ex-cadre and deputation posts, particularly in important organizations and departments such as the CVC, CBI, Vigilance organizations and other investigative or supervisory establishments in the Zonal Railway Headquarters and Divisions.

Adequate representation of SC/ST officers in such organizations is also important for ensuring fairness, objectivity, diversity and confidence in the functioning of vigilance and investigative mechanisms.

The Hon'ble Parliamentary Committee is therefore requested to recommend that appropriate reservation / representation provisions be introduced in ex-cadre posts wherever legally and administratively feasible, particularly in posts carrying significant powers and responsibilities.

22. Extension of Reservation in Promotion to All Levels of Group 'A' Services

The issue of reservation in promotion in Group 'A' services requires urgent consideration. The Fourth and Fifth Reports of the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes recommended that reservation in promotion should be extended to all levels and classes of posts by suitably modifying the DoPT Office Memorandum dated 13.08.1997.

The Commission reiterated this recommendation in its Sixth Report, emphasizing the need to enable the most disadvantaged sections of society to receive their due share and opportunity to participate effectively in governance and administration.

Despite these recommendations, SC/ST officers continue to face significant barriers in reaching the higher levels of administration, particularly in Group 'A' services. Merely providing reservation at the entry level does not adequately achieve the constitutional objective of ensuring meaningful representation at senior decision-making levels.

It is therefore requested that reservation in promotion for SCs and STs be extended up to all eligible levels of Group 'A' services, in accordance with the Constitution, applicable judicial pronouncements and the recommendations of the National Commission for SCs and STs.

The Hon'ble Parliamentary Committee is requested to recommend appropriate amendments to the existing policy and instructions to ensure effective and adequate representation of SCs and STs at all levels of Group 'A' services.



(B L Bairwa)
National President
AISCTREA



(Ashok Kumar)
National General Secretary
AISCTREA

ALL INDIA SCHEDULED CASTES & SCHEDULED TRIBES RAILWAY EMPLOYEES ASSOCIATION (Central Executive Committee)

Regd. No.S-1517 & Recognised by Ministry of Railways

Head Office : 171/B-3, Basant Lane Railway Colony, New Delhi -1 • Rly. Ph.: 030- 23354

PREM Office : Room No. 7 (GF), Rail Bhavan, New Delhi. • Rly. Ph.: 030-43705
BSNL Ph. & Fax No. 011-23043705 • visit at : www.aistrea.com



Ref. No. AI/SCT/REA/CEC/ 105 / 2026

Date 15/09/2026

President

B L Bairwa

(JAIPUR)

Rly. Ph. : 095-25786

Ph./ FAX : 0141-2725518

Mobile : 09001195384

09971397186

banwarilalbairwa@yahoo.co.in



Working President

Dr. A Gnanasekaran

(Chennai)

Mobile : 9840263651



Sr. Vice President

P C Murmu

(Kolkata)

Mobile : 09434592895



General Secretary

Ashok Kumar

(Delhi)

Mobile : 09717635815

08445563194

aistreacec@yahoo.co.in



Addl. General Secretary

M Mohan

(Mysore)

Mobile : 09880590799



Treasurer

Prem Singh

(Delhi)

Mobile : 09717639657

सेवा में,

डॉ. फगन सिंह कुलस्ते जी,

माननीय अध्यक्ष,

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति,

509, पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी,

एक्सटेंशन बिल्डिंग, बी-ब्लॉक,

नई दिल्ली-110001।

विषय:-दिनांक 15 सितम्बर, 2026 को 14.30 बजे मुख्य समिति कक्ष, ग्राउंड फ्लोर,

पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी, नई दिल्ली में माननीय अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के समक्ष होने वाली ब्रीफिंग के दौरान "रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड में आरक्षण नीति का क्रियान्वयन" विषय पर ज्ञापन प्रस्तुत करने के संबंध में।

महोदय,

ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे एम्प्लाइज एसोसिएशन की ओर से हम माननीय अध्यक्ष महोदय एवं अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के सभी माननीय सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि समिति ने रेल मंत्रालय / रेलवे बोर्ड में आरक्षण नीति के क्रियान्वयन से संबंधित विषयों पर एसोसिएशन को समिति के समक्ष ब्रीफिंग हेतु अवसर प्रदान किया है।

रेल मंत्रालय / रेलवे बोर्ड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नीति के प्रभावी एवं वास्तविक क्रियान्वयन तथा एससी/एसटी वर्ग के रेल कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं एवं लंबित मामलों के संबंध में एक विस्तृत ज्ञापन माननीय संसदीय समिति के विचारार्थ हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

अतः सादर अनुरोध है कि माननीय संसदीय समिति संलग्न ज्ञापन में उल्लिखित सभी विषयों एवं समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक एवं गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के संवैधानिक अधिकारों, हितों एवं कल्याण को ध्यान में रखते हुए आवश्यक एवं प्रभावी कार्रवाई हेतु भारत सरकार, रेल मंत्रालय एवं रेलवे बोर्ड को उपयुक्त सिफारिशें करने की कृपा करे।

एसोसिएशन को पूर्ण विश्वास है कि माननीय संसदीय समिति के हस्तक्षेप एवं सिफारिशों से रेल मंत्रालय/रेलवे बोर्ड में आरक्षण नीति का प्रभावी, पारदर्शी एवं उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा एससी/एसटी रेल कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित समस्याओं एवं शिकायतों के समाधान में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।

ALL INDIA SCHEDULED CASTES & SCHEDULED TRIBES RAILWAY EMPLOYEES ASSOCIATION (Central Executive Committee)

Regd. No.S-1517 & Recognised by Ministry of Railways

Head Office : 171/B-3, Basant Lane Railway Colony, New Delhi -1 • Rly. Ph.: 030- 23354

PREM Office : Room No. 7 (GF), Rail Bhavan, New Delhi. • Rly. Ph.: 030-43705

BSNL Ph. & Fax No. 011-23043705 • visit at : www.aistrea.com



Ref. No. AI/SCT/REA/CEC/ 105 / 2026

Date 15/09/2026

President

B L Bairwa

(JAIPUR)

Rly. Ph. : 095-25786

Ph./ FAX : 0141-2725518

Mobile : 09001195384

09971397186

banwarilalbairwa@yahoo.co.in



Working President

Dr. A Gnanasekaran

(Chennai)

Mobile : 9840263651



Sr. Vice President

P C Murmu

(Kolkata)

Mobile : 09434592895



General Secretary

Ashok Kumar

(Delhi)

Mobile : 09717635815

08445563194

aistreacec@yahoo.co.in



Addl. ener al Secretary

M Mohan

(Mysore)

Mobile : 09880590799



Treasurer

Prem Singh

(Delhi)

Mobile : 09717639657

ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे एम्प्लाइज एसोसिएशन, माननीय अध्यक्ष महोदय एवं अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के सभी माननीय सदस्यों के प्रति उनके सहृदय विचार, सहयोग एवं बहुमूल्य हस्तक्षेप के लिए सदैव आभारी रहेगी।

सादर।

संलग्नक:- यथोपरि

(बी. एल. बैरवा)

राष्ट्रीय अध्यक्ष

भवदीय,

(अशोक कुमार)

राष्ट्रीय महासचिव

प्रतिलिपि:-

1. अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के माननीय सदस्यों को — सादर विचारार्थ।

2. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली को — सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

माननीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के समक्ष भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 15 सितम्बर, 2026 को अपराह्न 14.30 बजे, मेन कमिटी रूम, ग्राउंड फ्लोर, पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी, नई दिल्ली में आयोजित ब्रीफिंग के दौरान ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन।

1. ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन को एसोसिएशन के सुचारू संचालन तथा भारतीय रेल में आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सुविधाओं का विस्तार।

ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन को एसोसिएशन (पंजीकरण संख्या S/1517) एक कल्याणकारी संगठन है, जो विभिन्न सामाजिक एवं राष्ट्रीय गतिविधियों में सदैव सक्रिय एवं रचनात्मक भूमिका निभाता रहा है। एसोसिएशन ने भारतीय रेल के लगभग 3.50 लाख अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों के कल्याण एवं उन्नति के लिए समर्पित भाव से 67 वर्षों से अधिक समय तक अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं।

एसोसिएशन का प्रमुख उद्देश्य भारत सरकार की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित आरक्षण नीति का प्रभावी, निष्ठापूर्वक एवं समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों के वैध अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना और सेवा संबंधी मामलों में उनके अनावश्यक उत्पीड़न एवं भेदभाव को रोकना है।

एसोसिएशन की पूरे भारतीय रेल में शाखा स्तर तक एक सुव्यवस्थित, अनुशासित एवं लोकतांत्रिक संगठनात्मक व्यवस्था है। इसके पदाधिकारी एवं सदस्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करते रहे हैं तथा विभिन्न सामाजिक एवं राष्ट्रीय कार्यों में भी योगदान देते रहे हैं।

रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों के हितों की रक्षा, भारत सरकार की आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन तथा एसोसिएशन द्वारा अपने सदस्यों के कल्याण संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से एसोसिएशन को कुछ सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।

तथापि, एसोसिएशन के दीर्घकालीन इतिहास, व्यापक संगठनात्मक नेटवर्क, पर्याप्त सदस्यता तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों के कल्याण एवं आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में इसके महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में एसोसिएशन को प्रदान की जा रही सुविधाएँ अत्यंत अपर्याप्त हैं तथा अन्य मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों को प्रदान की जा रही सुविधाओं की तुलना में अत्यंत सीमित एवं असमान हैं।

अतः निवेदन है कि एसोसिएशन को प्रदान की जा रही सुविधाओं एवं मान्यता की समीक्षा कर उन्हें समानता एवं आनुपातिकता के आधार पर उचित रूप से बढ़ाया जाए, ताकि एसोसिएशन अपने संवैधानिक, वैधानिक एवं कल्याणकारी दायित्वों का अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सके तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों के कल्याण एवं भारत सरकार की आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में सार्थक योगदान देना जारी रख सके। इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत हैं:-

(ii) एसोसिएशन को पूर्ण मान्यता प्रदान करना तथा विभिन्न समितियों में प्रतिनिधित्व देना।

वर्तमान में रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा एसोसिएशन को कल्याणकारी गतिविधियों के लिए मान्यता प्रदान की गई है तथा कुछ सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई गई हैं। एसोसिएशन को PREM, SBF, हाउसिंग कमिटी, कॉलोनी केयर कमिटी/कॉलोनी निरीक्षण समूह आदि कुछ समितियों में प्रतिनिधित्व भी प्रदान किया गया है।

हालाँकि, रेलवे के विकास, प्रशासनिक मामलों एवं रेलवे कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित कई अन्य महत्वपूर्ण समितियों, जैसे POM, DOM, पदों की पिन-पॉइंटिंग, अस्पताल विजिटिंग कमिटी, कैंटीन कमिटी, शॉप

फ्लोर कमिटी, रेलवे इंस्टीट्यूट एवं कम्युनिटी हॉल कमिटी, खेल एवं मनोरंजन कमिटी तथा अन्य समान समितियों में एसोसिएशन को प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है।

इन समितियों में रेलवे के विकास, कार्य परिस्थितियों, प्रशासनिक कार्यप्रणाली एवं कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया जाता है तथा निर्णय लिए जाते हैं। ऐसी समितियों में एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों के वैध हितों एवं समस्याओं को प्रभावी रूप से उठाना तथा उनका संरक्षण करना कठिन हो जाता है।

अतः अनुरोध है कि एसोसिएशन को पूर्ण मान्यता प्रदान की जाए तथा उन सभी समितियों में उचित एवं प्रभावी प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिनमें रेलवे के विकास, कर्मचारियों के कल्याण, सेवा शर्तों तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों के हितों को प्रभावित करने वाले अन्य विषयों पर विचार-विमर्श एवं निर्णय लिए जाते हैं।

(ii) एसोसिएशन के साथ अनौपचारिक बैठकों की संख्या एवं आवृत्ति में वृद्धि।

वर्तमान में रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा एसोसिएशन के साथ रेलवे बोर्ड, जोनल रेलवे एवं उत्पादन इकाइयों, मंडल तथा वर्कशॉप स्तर पर वर्ष में तीन अनौपचारिक बैठकों का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, सहायक अभियंता स्तर पर वर्ष में एक अनौपचारिक बैठक का प्रावधान है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के समक्ष आने वाली समस्याओं की प्रकृति एवं व्यापकता को देखते हुए वर्ष में केवल तीन बैठकों का वर्तमान प्रावधान अपर्याप्त है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दे नियमित रूप से उत्पन्न होते रहते हैं, जिनमें आरक्षण नीति का प्रभावी कार्यान्वयन, बैकलॉग रिक्तियों को भरना, पदों की पहचान एवं पिन-पॉइंटिंग, पदोन्नति में आरक्षण, आरक्षण रोस्टरों का रख-रखाव, कैडर पुनर्गठन, भर्ती, पदोन्नति, सेवा संबंधी मामले तथा अन्य कल्याणकारी विषय शामिल हैं।

यह उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने पूर्व में अपनी 47वीं रिपोर्ट की सिफारिश संख्या 7 (पैरा 1.32) के माध्यम से रेलवे बोर्ड, जोनल, मंडल एवं वर्कशॉप स्तर पर एसोसिएशन के साथ मासिक अनौपचारिक बैठकें आयोजित किए जाने की सिफारिश की थी। रेलवे प्रशासन ने पत्र संख्या 88-E(SCT)/I/80/2 दिनांक 21.09.1989 के माध्यम से उक्त सिफारिश को स्वीकार भी किया था; किंतु बाद में रेलवे के कार्यभार एवं कार्य की अत्यावश्यकताओं का हवाला देते हुए इस व्यवस्था को वापस ले लिया गया।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि एसोसिएशन भारत सरकार की आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों के वैध हितों की रक्षा करने में रेलवे प्रशासन की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एसोसिएशन रेलवे के प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती, बल्कि आरक्षण एवं कर्मचारी कल्याण से संबंधित प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में रेलवे प्रशासन को अपना सहयोग प्रदान करती है। जहाँ कहीं भी कमियाँ दिखाई देती हैं, एसोसिएशन उन्हें प्रशासन के संज्ञान में लाती है तथा उनके उचित समाधान के लिए प्रयास करती है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी संसदीय समिति की पूर्व सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, अनुरोध है कि रेलवे बोर्ड, जोनल रेलवे, उत्पादन इकाइयों, मंडल एवं वर्कशॉप स्तर पर एसोसिएशन के साथ मासिक अनौपचारिक बैठकें पुनः प्रारंभ करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँ।

यदि मासिक बैठकों की व्यवस्था तत्काल पुनः प्रारंभ करना संभव न हो, तो वैकल्पिक रूप से कम-से-कम त्रैमासिक अनौपचारिक बैठकों को सभी संबंधित स्तरों पर अनिवार्य किया जाए, ताकि अनुसूचित जाति एवं

अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं एवं शिकायतों की नियमित समीक्षा की जा सके और उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

(iii) अनौपचारिक बैठकों के स्थान पर एसोसिएशन के साथ औपचारिक बैठकें आयोजित करना

वर्तमान में रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा एसोसिएशन के साथ अनौपचारिक बैठकें आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह भी निर्देशित किया गया है कि ऐसी अनौपचारिक बैठकों की कार्यवाही का औपचारिक रूप से अभिलेखन एवं सभी संबंधितों को प्रसारण आवश्यक नहीं है।

ऐसी स्थिति में अनौपचारिक बैठकों का उद्देश्य एवं प्रभावशीलता काफी हद तक कम हो जाती है। यदि बैठक में हुई चर्चा तथा लिए गए निर्णयों को उचित रूप से दर्ज कर सभी संबंधित अधिकारियों को प्रसारित नहीं किया जाता है, तो बैठक में लिए गए निर्णयों के प्रभावी अनुपालन एवं अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है। कार्यवाही के अभिलेख का अभाव तथा उसे सभी संबंधितों को प्रसारित न किए जाने के कारण चर्चा किए गए विषयों पर हुई प्रगति एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी करना भी कठिन हो जाता है।

इसके अतिरिक्त, रेलवे प्रशासन द्वारा अक्सर अनौपचारिक बैठकों के प्रति अपेक्षित गंभीरता एवं तत्परता नहीं दिखाई जाती तथा एसोसिएशन द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए इन बैठकों को आवश्यक महत्व नहीं दिया जाता। परिणामस्वरूप, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण विषय लंबित रहते हैं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं एवं शिकायतों का उचित समयावधि में समाधान नहीं हो पाता।

एसोसिएशन की महत्वपूर्ण भूमिका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को रेलवे प्रशासन के संज्ञान में लाने तथा आरक्षण एवं उनके कल्याण से संबंधित संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में प्रशासन की सहायता करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एसोसिएशन एवं रेलवे प्रशासन के बीच संवाद की व्यवस्था प्रभावी, जवाबदेह एवं परिणामोन्मुखी होना आवश्यक है।

अतः सादर अनुरोध है कि माननीय संसदीय समिति कृपया यह सिफारिश करे कि एसोसिएशन के साथ वर्तमान अनौपचारिक बैठकों की व्यवस्था को समाप्त कर उसके स्थान पर उचित स्तरों पर औपचारिक बैठकों की व्यवस्था लागू की जाए।

यह भी अनुरोध है कि प्रत्येक ऐसी औपचारिक बैठक की कार्यवाही विधिवत दर्ज एवं अनुमोदित की जाए तथा सभी संबंधित अधिकारियों/प्राधिकरणों को प्रसारित की जाए। साथ ही आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्पष्ट उत्तरदायित्व एवं निर्धारित समय-सीमा भी तय की जाए। इससे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों से संबंधित आरक्षण नीति के कार्यान्वयन तथा उनकी वैध शिकायतों के संबंध में प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई, जवाबदेही एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित होगा।

ऐसी व्यवस्था एसोसिएशन एवं रेलवे प्रशासन के बीच संस्थागत संवाद को भी सुदृढ़ करेगी तथा भारत सरकार की आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों के कल्याण को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

(iv) एसोसिएशन के सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को कार्ड पास की सुविधा प्रदान करना

एसोसिएशन के उपनियमों के अनुसार केंद्रीय स्तर पर छह निर्वाचित पदाधिकारी हैं, अर्थात् अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, अतिरिक्त महासचिव एवं कोषाध्यक्ष। इसी प्रकार जोनल, मंडल

एवं वर्कशॉप स्तर पर पाँच निर्वाचित पदाधिकारी हैं, अर्थात् अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, सचिव, अतिरिक्त सचिव एवं कोषाध्यक्ष। शाखा स्तर पर तीन निर्वाचित पदाधिकारी हैं, अर्थात् अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष।

वर्तमान में केंद्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष एवं महासचिव को तीन प्रथम एसी कार्ड पास, जबकि अतिरिक्त महासचिव एवं कोषाध्यक्ष को दो द्वितीय एसी कार्ड पास प्रदान किए जाते हैं। तथापि, केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष को कोई कार्ड पास सुविधा प्रदान नहीं की गई है।

इसी प्रकार जोनल, मंडल एवं वर्कशॉप स्तर पर संबंधित कार्यकारिणियों के अध्यक्ष एवं सचिव को दो द्वितीय एसी कार्ड पास प्रदान किए जाते हैं। तथापि, कार्यकारी अध्यक्ष, अतिरिक्त सचिव एवं कोषाध्यक्ष को कोई कार्ड पास सुविधा प्रदान नहीं की जाती है।

शाखा स्तर पर अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सचिव को एक द्वितीय एसी कार्ड पास प्रदान किया जाता है, जिसका उपयोग एक समय में केवल एक पदाधिकारी द्वारा किया जा सकता है। शाखा कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष को कोई कार्ड पास सुविधा प्रदान नहीं की जाती है।

वर्तमान व्यवस्था के कारण एसोसिएशन के विधिवत निर्वाचित पदाधिकारियों के बीच असमानता उत्पन्न होती है तथा एसोसिएशन के प्रभावी संचालन में व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी आती हैं। चूँकि सभी निर्वाचित पदाधिकारियों की एसोसिएशन के उपनियमों के अंतर्गत निर्धारित जिम्मेदारियाँ हैं और उन्हें संगठनात्मक गतिविधियों के संचालन तथा रेलवे प्रशासन के समक्ष अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए यात्रा करनी पड़ती है, इसलिए उनके दायित्वों के प्रभावी निर्वहन हेतु पर्याप्त यात्रा सुविधा आवश्यक है।

एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भारत सरकार की आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित मामलों को आगे बढ़ाने तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों के सेवा संबंधी एवं कल्याणकारी मामलों के समाधान के लिए विभिन्न जोनल रेलवे एवं उत्पादन इकाइयों, मंडलों, वर्कशॉप, इकाइयों, स्टेशनों तथा अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों का दौरा करना पड़ता है।

अतः सादर अनुरोध है कि माननीय संसदीय समिति कृपया यह सिफारिश करे कि एसोसिएशन के शाखा स्तर तक सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को कार्ड पास की सुविधा प्रदान की जाए, विशेष रूप से निम्नलिखित पदाधिकारियों को:-

1. केंद्रीय कार्यकारिणी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष;
2. जोनल, मंडल एवं वर्कशॉप कार्यकारिणियों के कार्यकारी अध्यक्ष, अतिरिक्त सचिव एवं कोषाध्यक्ष; तथा
3. शाखा कार्यकारिणियों के सचिव एवं कोषाध्यक्ष।

यह भी अनुरोध है कि इन निर्वाचित पदाधिकारियों को लागू नियमों के अनुसार आवश्यक कार्ड पास सुविधा प्रदान करने हेतु उचित निर्देश जारी किए जाएँ, ताकि वे अपने संगठनात्मक दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें तथा भारत सरकार की आरक्षण नीति के उचित कार्यान्वयन एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों के वैध अधिकारों एवं कल्याण की रक्षा में प्रभावी योगदान दे सकें।

(v) एसोसिएशन की बैठकों में भाग लेने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश एवं विशेष पास की सुविधा प्रदान करना

एसोसिएशन के उपनियमों तथा रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, एसोसिएशन को वार्षिक आम सभा की बैठक (Annual General Body Meeting), प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार अपनी कार्यकारिणियों के चुनाव तथा केंद्रीय स्तर से लेकर शाखा स्तर तक कार्यकारिणियों की त्रैमासिक बैठकें आयोजित करना आवश्यक

है। ये बैठकें एसोसिएशन के लोकतांत्रिक संचालन तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों के कल्याण एवं वैध हितों से संबंधित विषयों की समीक्षा एवं उनके निराकरण हेतु अत्यंत आवश्यक हैं।

तथापि, अन्य मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों को प्रदान की जा रही सुविधाओं के विपरीत, ऐसी संगठनात्मक बैठकों में भाग लेने के लिए एसोसिएशन के पदाधिकारियों/सदस्यों को किसी भी स्तर पर विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) एवं विशेष पास (Special Pass) की सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है।

इसके परिणामस्वरूप, एसोसिएशन के निर्वाचित पदाधिकारियों एवं सदस्यों को इन अनिवार्य बैठकों में भाग लेने के लिए अपना व्यक्तिगत अवकाश लेना पड़ता है तथा अपने व्यक्तिगत पास का उपयोग करना पड़ता है अथवा यात्रा व्यय स्वयं वहन करना पड़ता है। इससे उन पदाधिकारियों एवं सदस्यों को काफी व्यक्तिगत असुविधा एवं आर्थिक नुकसान होता है, जो अपने नियमित रेलवे दायित्वों के अतिरिक्त संगठनात्मक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन कर रहे हैं।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि उपर्युक्त बैठकें किसी प्रकार की व्यक्तिगत अथवा निजी गतिविधियाँ नहीं हैं। ये बैठकें एसोसिएशन के उपनियमों तथा रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप आयोजित की जाती हैं तथा इनका सीधा संबंध एसोसिएशन के प्रभावी संचालन एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व से है।

विशेष आकस्मिक अवकाश एवं विशेष पास की सुविधा उपलब्ध न होने से विशेष रूप से दूरस्थ स्थानों पर कार्यरत पदाधिकारियों एवं सदस्यों की बैठकों में भागीदारी भी प्रभावित होती है। परिणामस्वरूप, एसोसिएशन के प्रभावी संचालन तथा भारत सरकार की आरक्षण नीति के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उसके प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अतः सादर अनुरोध है कि माननीय संसदीय समिति कृपया यह सिफारिश करे कि केंद्रीय कार्यकारी समिति से लेकर जोनल, मंडल, वर्कशॉप एवं शाखा स्तर तक एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं पात्र सदस्यों को वार्षिक आम सभा की बैठकों, चुनावों, त्रैमासिक कार्यकारी समिति की बैठकों तथा एसोसिएशन के उपनियमों एवं रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार आयोजित अन्य बैठकों में भाग लेने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश एवं विशेष पास की सुविधा प्रदान की जाए।

यह भी अनुरोध है कि प्रदान की जाने वाली उक्त सुविधाएँ अन्य मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों को उपलब्ध सुविधाओं के समान स्तर पर हों, ताकि एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को वैध संगठनात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए व्यक्तिगत आर्थिक हानि उठाने अथवा अपने स्वयं के अवकाश का उपयोग करने के लिए बाध्य न होना पड़े।

ऐसा प्रावधान एसोसिएशन के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करेगा, उसके प्रभावी लोकतांत्रिक संचालन को सुदृढ़ करेगा तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों की उनके कल्याण एवं भारत सरकार की आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित विषयों में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करेगा।

(vi) एसोसिएशन के पदाधिकारियों को अनुचित स्थानांतरण से संरक्षण प्रदान करना

एसोसिएशन भारत सरकार की आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों के वैध हितों एवं कल्याण की रक्षा के लिए कार्य करती रही है। इसी उद्देश्य से रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा एसोसिएशन को कल्याणकारी गतिविधियों के लिए मान्यता प्रदान की गई है तथा उसे कुछ सुविधाएँ भी प्रदान की गई हैं।

तथापि, एसोसिएशन के पदाधिकारियों का अक्सर बिना किसी ठोस अथवा उचित कारण के अनुचित रूप से स्थानांतरण कर दिया जाता है, यहाँ तक कि कई मामलों में उन्हें उसी पदनाम तथा उसी ग्रेड पे/लेवल

वाले पद पर स्थानांतरित किया जाता है। ऐसे स्थानांतरण एसोसिएशन के कार्यकलापों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं तथा इसके पदाधिकारियों को अपने संगठनात्मक दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने से हतोत्साहित करते हैं।

कई मामलों में, जब किसी निर्वाचित पदाधिकारी का स्थानांतरण किया जाना होता है, तब भी स्थानांतरण लागू किए जाने से पूर्व एसोसिएशन को किसी अन्य पदाधिकारी का चुनाव करने अथवा उचित वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त अवसर या उचित समय नहीं दिया जाता। इसके परिणामस्वरूप संबंधित स्तर पर एसोसिएशन की संगठनात्मक गतिविधियाँ गंभीर रूप से प्रभावित एवं बाधित होती हैं।

इस विषय को एसोसिएशन द्वारा रेलवे बोर्ड के साथ आयोजित अनौपचारिक बैठक में उठाया गया था। इसके पश्चात रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड ने पत्र संख्या 97-E(SCT)/22/12 दिनांक 05.03.1999 (RBE No.39/1999) के माध्यम से निर्देश जारी किए थे कि जब भी एसोसिएशन के किसी पदाधिकारी का स्थानांतरण प्रस्तावित हो, तो लायजन अधिकारी को इसकी सूचना दी जाए।

तथापि, केवल लायजन अधिकारी को सूचना देना इस समस्या का पर्याप्त समाधान नहीं है। वर्तमान व्यवस्था इसलिए अपर्याप्त एवं अप्रभावी है क्योंकि इसमें एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनावश्यक अथवा मनमाने स्थानांतरण के विरुद्ध कोई वास्तविक एवं प्रभावी संरक्षण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

इसलिए एक स्पष्ट एवं प्रभावी नीति की आवश्यकता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसोसिएशन के पदाधिकारियों का अनावश्यक रूप से स्थानांतरण न किया जाए, विशेष रूप से तब, जब ऐसा स्थानांतरण एसोसिएशन के कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता हो। इसके अतिरिक्त, यदि प्रशासनिक अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से स्थानांतरण करना आवश्यक हो, तो स्थानांतरण लागू करने से पूर्व एसोसिएशन को वैकल्पिक संगठनात्मक व्यवस्था करने, जिसमें किसी अन्य पदाधिकारी का चुनाव/नामांकन भी शामिल है, के लिए उचित एवं पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

यह भी उल्लेखनीय है कि अन्य मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारियों के संबंध में स्थानांतरण से संबंधित उचित सुरक्षा एवं सुविधाएँ उपलब्ध हैं। एसोसिएशन के पदाधिकारियों को समान संरक्षण से वंचित रखना असमान एवं भेदभावपूर्ण स्थिति उत्पन्न करता है तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों के प्रभावी प्रतिनिधित्व को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

अतः सादर अनुरोध है कि माननीय संसदीय समिति कृपया यह सिफारिश करे कि अन्य मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में लागू नीति एवं सुरक्षा उपायों को, यथोचित रूप से (*mutatis mutandis*), इस एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर भी लागू किया जाए।

यह भी अनुरोध है कि निम्नलिखित सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँ:-

1. एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनावश्यक एवं टाले जा सकने वाले स्थानांतरण न किए जाएँ।
2. जहाँ वास्तविक प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण अपरिहार्य हो, वहाँ एसोसिएशन तथा संबंधित लायजन अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व इसकी सूचना दी जाए।
3. स्थानांतरण प्रभावी होने से पूर्व एसोसिएशन को वैकल्पिक संगठनात्मक व्यवस्था करने, जिसमें किसी अन्य पदाधिकारी का चुनाव/नामांकन भी शामिल है, के लिए पर्याप्त एवं उचित समय दिया जाए, जैसा कि ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारियों के मामले में किया जाता है।
4. स्थानांतरण संबंधी मामलों में एसोसिएशन के पदाधिकारियों को वही सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया जाए जो अन्य मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारियों को उपलब्ध है।

ऐसी नीति से एसोसिएशन के कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित होगी तथा इसके पदाधिकारी भारत सरकार की आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों के कल्याण में अधिक प्रभावी ढंग से योगदान कर सकेंगे।

(vii) एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर की गई कार्रवाई की लिखित सूचना

रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, इस एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों को रेलवे प्रशासन द्वारा स्वीकार कर उन पर विचार किया जाता है। तथापि, एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर की गई कार्रवाई/अनुपालन की सूचना एसोसिएशन को लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

लिखित रूप में सूचना उपलब्ध न होने के कारण एसोसिएशन अपने अभ्यावेदनों की वर्तमान स्थिति, उन पर लिए गए निर्णय तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रारंभ की गई कार्रवाई की जानकारी प्राप्त नहीं कर पाती है। इससे लंबित मामलों को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने में भी कठिनाई होती है।

अतः सादर अनुरोध है कि एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक अभ्यावेदन पर दिए गए उत्तर तथा की गई कार्रवाई/अनुपालन की सूचना उचित रूप से निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में एसोसिएशन को उपलब्ध कराई जाए, ताकि एसोसिएशन अनसुलझे मामलों को उचित रूप से आगे बढ़ा सके तथा लिए गए निर्णयों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सके।

(viii) एसोसिएशन के कार्यालयों के लिए किराया/लाइसेंस शुल्क एवं विद्युत शुल्क से छूट

यह एसोसिएशन रेल मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों के कल्याणकारी कार्यों के लिए मान्यता प्राप्त एक कल्याणकारी संगठन है। एसोसिएशन व्यापक कर्मचारी हित में अपने संगठनात्मक एवं कल्याणकारी कार्य करती है तथा भारत सरकार की आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में रेलवे प्रशासन को सहयोग प्रदान करती है।

तथापि, रेलवे प्रशासन द्वारा एसोसिएशन को उपलब्ध कराए गए कार्यालय के लिए किराया/लाइसेंस शुल्क एवं विद्युत शुल्क का भुगतान करने पर जोर दिया जा रहा है। चूँकि उक्त कार्यालय का उपयोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों के हितों से संबंधित कल्याणकारी एवं संगठनात्मक गतिविधियों के लिए किया जाता है, इसलिए इस प्रकार का वित्तीय भार एसोसिएशन पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालता है।

अतः सादर अनुरोध है कि कर्मचारी कल्याण संबंधी गतिविधियों के लिए उपयोग किए जा रहे एसोसिएशन के मान्यता प्राप्त कार्यालय को किराया/लाइसेंस शुल्क एवं विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की जाए।

(ix) एसोसिएशन के कार्यालयों तथा पदाधिकारियों के आवास पर रेलवे एवं बीएसएनएल टेलीफोन सुविधा सहित STD तथा पदाधिकारियों को CUG मोबाइल SIM की सुविधा प्रदान करना

रेल मंत्रालय द्वारा एसोसिएशन के कार्यालयों में रेलवे टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तथापि, STD सुविधा सहित BSNL टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि ऐसी संचार सुविधाएँ एसोसिएशन के प्रभावी संचालन तथा भारतीय रेल में इसके पदाधिकारियों, जोनल/मंडल/वर्कशॉप एवं शाखाओं के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।

अतः सादर अनुरोध है कि लागू नियमों तथा समान स्थिति वाले मान्यता प्राप्त संगठनों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के अनुरूप, एसोसिएशन के कार्यालयों के साथ-साथ एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सचिव के सरकारी/आधिकारिक आवास पर रेलवे टेलीफोन तथा STD सुविधा सहित BSNL टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

इसके अतिरिक्त, एसोसिएशन के शाखा स्तर तक सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को CUG मोबाइल SIM की सुविधा भी प्रदान की जाए, ताकि वे भारतीय रेल के विभिन्न स्तरों पर स्थित पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ प्रभावी एवं नियमित संचार बनाए रख सकें तथा एसोसिएशन के संगठनात्मक दायित्वों एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।

(x) रेल कर्मचारियों की प्रबंधन में भागीदारी (PREM) योजना के अंतर्गत पर्याप्त सुविधाएँ एवं नियमित बैठकों का प्रावधान

रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड ने पत्र दिनांक 19.08.2013 के माध्यम से इस एसोसिएशन को PREM (Participation of Railway Employees in Management) समूह में भाग लेने की अनुमति प्रदान की थी तथा निर्देश जारी किए थे कि PREM समूह के अन्य सदस्यों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाएँ इस एसोसिएशन को भी प्रदान की जाएँ।

तथापि, उक्त अनुमति एवं निर्देशों के बावजूद, एसोसिएशन को PREM योजना के अंतर्गत शीर्ष/केंद्रीय स्तर पर PREM समूह के अन्य सदस्यों, जिनमें मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन एवं फेडरेशन शामिल हैं, के समान पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।

वर्तमान में, शीर्ष/केंद्रीय स्तर पर PREM कार्यालय के रूप में कार्य करने के लिए एसोसिएशन को रेल भवन में एक छोटा-सा कमरा उपलब्ध कराया गया है। उपलब्ध स्थान PREM कार्यालय के प्रभावी संचालन तथा आधिकारिक गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए अपर्याप्त है।

इसके अतिरिक्त, PREM कार्यालय के प्रभावी संचालन हेतु स्टेनोग्राफर अथवा कार्यालय सहायक जैसी कोई सचिवीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है। कार्यालय में उपलब्ध कंप्यूटर, प्रिंटर एवं फोटोकॉपी मशीन भी उचित कार्यशील स्थिति में नहीं हैं, जिसके कारण दैनिक आधिकारिक कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है।

यद्यपि PREM कार्यालय का हाल ही में नवीनीकरण किया गया है, तथापि अभी तक नया फर्नीचर एवं अलमारी/कपबोर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे कार्यालय अभिलेखों एवं दस्तावेजों के उचित रख-रखाव तथा कार्यालय के सुचारू संचालन में और अधिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

यह भी उल्लेखनीय है कि रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार PREM समूह की त्रैमासिक बैठकें प्रत्येक स्तर पर आयोजित किया जाना आवश्यक है। तथापि, रेलवे प्रशासन द्वारा इन निर्देशों का उचित रूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। वर्ष 2013 में एसोसिएशन को PREM समूह में भाग लेने की अनुमति दिए जाने के बाद से अब तक रेलवे बोर्ड/शीर्ष स्तर पर केवल दो बैठकें आयोजित की गई हैं, जो PREM व्यवस्था में सार्थक भागीदारी के लिए पूर्णतः अपर्याप्त हैं।

PREM व्यवस्था का उद्देश्य रेलवे प्रशासन, कार्य परिस्थितियों, कर्मचारी कल्याण तथा रेलवे के विकास से संबंधित मामलों में रेलवे कर्मचारियों एवं उनके प्रतिनिधियों की सहभागिता एवं संवाद के लिए एक संस्थागत मंच उपलब्ध कराना है। निर्धारित अवधि के अनुसार बैठकों का आयोजन न किया जाना PREM योजना के मूल उद्देश्य को ही काफी हद तक निष्प्रभावी कर देता है।

यह असमानता एवं अपर्याप्त संस्थागत सहयोग PREM व्यवस्था में एसोसिएशन की प्रभावी भागीदारी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों के कल्याण, सेवा शर्तों एवं वैध हितों से संबंधित विषयों को उचित रूप से उठाने एवं आगे बढ़ाने की उसकी क्षमता को भी प्रभावित करता है।

अतः सादर अनुरोध है कि माननीय संसदीय समिति कृपया निम्नलिखित की सिफारिश करे:-

1. एसोसिएशन के शीर्ष/केंद्रीय स्तर पर PREM कार्यालय के लिए रेल भवन में PREM समूह के समान स्थिति वाले अन्य सदस्यों के अनुरूप पर्याप्त एवं उपयुक्त आकार का कार्यालय आवास एसोसिएशन को उपलब्ध कराया जाए।
2. PREM कार्यालय के प्रभावी संचालन के लिए स्टेनोग्राफर एवं कार्यालय सहायक सहित आवश्यक सचिवीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।
3. कार्यशील कंप्यूटर, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन तथा अन्य आवश्यक कार्यालय उपकरण उपलब्ध कराए जाएँ तथा उन्हें उचित कार्यशील स्थिति में बनाए रखा जाए।
4. चूँकि PREM कार्यालय का हाल ही में नवीनीकरण किया गया है, इसलिए नया फर्नीचर, अलमारियाँ/कपबोर्ड तथा अन्य आवश्यक कार्यालय अवसंरचना बिना किसी और विलंब के उपलब्ध कराई जाए।
5. PREM समूह के अन्य सदस्यों, जिनमें मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन एवं फेडरेशन शामिल हैं, को उपलब्ध सभी अन्य सुविधाएँ बिना किसी भेदभाव के रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप इस एसोसिएशन को भी प्रदान की जाएँ।
6. रेलवे प्रशासन को प्रत्येक स्तर पर PREM समूह की त्रैमासिक बैठकों के संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया जाए तथा ऐसी बैठकें नियमित एवं अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएँ। शीर्ष/केंद्रीय स्तर पर भी एसोसिएशन की भागीदारी के साथ त्रैमासिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए।

उक्त उपाय PREM व्यवस्था में एसोसिएशन की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों के कल्याण एवं भारतीय रेल के विकास में प्रभावी योगदान देने में सक्षम बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

(xi) नई दिल्ली में एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं महासचिव को आवासीय सुविधा प्रदान करना

एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं महासचिव को अपने संगठनात्मक दायित्वों के निर्वहन, रेलवे बोर्ड एवं रेल मंत्रालय के साथ बैठकों में भाग लेने, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों से संबंधित मामलों को आगे बढ़ाने तथा भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न विषयों पर होने वाली चर्चाओं में भाग लेने के लिए नई दिल्ली का बार-बार दौरा करना पड़ता है।

तथापि, एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं महासचिव को नई दिल्ली में आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जबकि PREM समूह के अन्य सदस्यों, जिनमें मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन एवं फेडरेशन शामिल हैं, के पदाधिकारियों को ऐसी आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

ऐसी आवासीय सुविधा उपलब्ध न होने के कारण पदाधिकारियों को काफी असुविधा एवं आर्थिक भार उठाना पड़ता है तथा केंद्रीय स्तर पर एसोसिएशन के सुचारू एवं प्रभावी संचालन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अतः सादर अनुरोध है कि एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं महासचिव को नई दिल्ली में उपयुक्त आवासीय सुविधा उसी अथवा समान नियम एवं शर्तों पर उपलब्ध कराई जाए, जो PREM समूह में भाग लेने वाले अन्य मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों/फेडरेशनों के पदाधिकारियों पर लागू हैं, ताकि एसोसिएशन के कार्यों का सुचारू एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित हो सके।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का कार्यान्वयन तथा समय-समय पर DoPT एवं रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों एवं स्पष्टीकरणों का कड़ाई से अनुपालन

77वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1995 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 16(4A) जोड़े जाने के माध्यम से सरकार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने की शक्ति दी गई थी। इसी प्रकार 85वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा आरक्षण के आधार पर पदोन्नति किए गए SC/ST अभ्यर्थियों को परिणामी वरिष्ठता (Consequential Seniority) प्रदान करने का प्रावधान किया गया।

उक्त संवैधानिक संशोधनों की वैधता को M. Nagaraj बनाम Union of India एवं अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त मामले में इन संवैधानिक संशोधनों की वैधता पर विचार करते हुए यह अभिमत व्यक्त किया कि पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करने से पूर्व संबंधित राज्य को प्रत्येक मामले में पिछड़ापन (Backwardness), प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता (Inadequacy of Representation), समग्र प्रशासनिक दक्षता (Overall Administrative Efficiency) बाध्यकारी आधारों का अस्तित्व प्रदर्शित करना होगा:-

वर्ग के पिछड़ेपन तथा सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाले मात्रात्मक आँकड़े (Quantifiable Data) एकत्र करने में कठिनाई होने के कारण, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 117वाँ संविधान संशोधन विधेयक, 2012 प्रस्तुत किया था। इसका उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (4A) में संशोधन कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में बिना किसी बाधा के आरक्षण प्रदान करना तथा इस विषय में निश्चितता एवं स्पष्टता लाना था।

उक्त विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया था, लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हो सका। तथापि, उक्त विधेयक अब व्यपगत (lapsed) हो चुका है।

न तो तत्कालीन भारत सरकार द्वारा M. Nagaraj मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप उपर्युक्त तीन बिंदुओं पर अपेक्षित प्रक्रिया पूरी की गई और न ही लोकसभा में 117वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर उक्त निर्णय के प्रभाव को दूर करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए गए, जबकि राज्यसभा द्वारा उक्त विधेयक पारित किया जा चुका था। इसके परिणामस्वरूप सभी मंत्रालयों/विभागों में मुकदमेबाजी की स्थिति उत्पन्न हुई और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी पदोन्नति में आरक्षण के लाभ से वंचित होते रहे।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण तथा अपनी स्वयं की योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर अनारक्षित पदों पर पदोन्नति के अधिकार के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट एवं बाध्यकारी निर्णयों तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT), भारत सरकार एवं रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी बार-बार के स्पष्टीकरणों एवं विस्तृत निर्देशों के बावजूद, विभिन्न जोनल रेलवे एवं उत्पादन इकाइयों में इन निर्णयों एवं निर्देशों को उनकी वास्तविक भावना के अनुरूप लागू नहीं किया जा रहा है।

इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी पदोन्नति के मामलों में अपने वैध संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। इस प्रकार का अनुपालन न किया जाना रेलवे प्रशासन के विरुद्ध अनावश्यक विवादों एवं बड़ी संख्या में न्यायालयीन मामलों को भी जन्म दे रहा है।

एसोसिएशन के संज्ञान में मेट्रो रेलवे, कोलकाता का एक विशेष रूप से गंभीर मामला आया है, जहाँ सुश्री प्रीति कटियार, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी (PCPO) द्वारा कथित रूप से पदोन्नति में आरक्षण तथा अपनी स्वयं की योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त

निर्णयों तथा DoPT एवं रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों/स्पष्टीकरणों का अनुपालन करने से इनकार किया गया है।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उनके पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, पटियाला में कार्यकाल के दौरान भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई थी और अब वही विषय मेट्रो रेलवे, कोलकाता में पुनः सामने आया है।

ऐसे अधिकारियों का रवैया, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी निर्णयों तथा भारत सरकार एवं रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों को लागू करने में विफल रहते हैं अथवा उनका पालन करने से इनकार करते हैं, गंभीर चिंता का विषय है। ऐसा दृष्टिकोण न केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों एवं वैध हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, बल्कि विभिन्न जोनल रेलवे एवं उत्पादन इकाइयों में अनावश्यक मुकदमेबाजी एवं प्रशासनिक जटिलताओं को भी जन्म देता है।

यह भी गंभीर चिंता का विषय है कि आरक्षण नीति के इस प्रकार मनमाने एवं असमान कार्यान्वयन के कारण विभिन्न जोनल रेलवे एवं उत्पादन इकाइयों में बड़ी संख्या में न्यायालयीन मामले उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे कई मामलों में रेलवे प्रशासन की ओर से प्रभावी कानूनी पैरवी भी सुनिश्चित नहीं की जा रही है। मामलों के महत्व के बावजूद उपयुक्त मामलों को अनुभवी एवं सक्षम वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नहीं सौंपा जाता। परिणामस्वरूप प्रभावित कर्मचारियों तथा रेलवे प्रशासन, दोनों के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं।

अतः हम माननीय संसदीय समिति से सादर अनुरोध करते हैं कि:-

- (i) इस विषय का गंभीर संज्ञान लेते हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण तथा अपनी स्वयं की योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर अनारक्षित पदों पर पदोन्नति से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी लागू निर्णयों का कड़ाई एवं समान रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
- (ii) रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड तथा सभी जोनल रेलवे एवं उत्पादन इकाइयों को इस विषय पर DoPT एवं रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं स्पष्टीकरणों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया जाए।
- (iii) सभी जोनल रेलवे एवं उत्पादन इकाइयों में पदोन्नति में आरक्षण के कार्यान्वयन की उच्च स्तरीय समीक्षा/ऑडिट कराई जाए तथा जहाँ निर्देशों का अनुपालन न करने अथवा जानबूझकर उल्लंघन किए जाने का मामला पाया जाए, वहाँ संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए।
- (iv) सुश्री प्रीति कटियार, PCPO, मेट्रो रेलवे, कोलकाता के आचरण की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए, विशेष रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों तथा DoPT एवं रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड के निर्देशों का पालन करने से इनकार/गैर-अनुपालन के संबंध में लगाए गए आरोपों की जाँच की जाए। यदि आरोप प्रमाणित पाए जाते हैं तो उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की जाए।
- (v) ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाए जो जानबूझकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी निर्णयों तथा DoPT/रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों को लागू करने में विफल रहते हैं अथवा उनका पालन करने से इनकार करते हैं।
- (vi) रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड को सभी जोनल रेलवे एवं उत्पादन इकाइयों के लिए स्पष्ट एवं समयबद्ध निर्देश जारी करने हेतु निर्देशित किया जाए, ताकि आरक्षण नीति की अलग-अलग अथवा

मनमानी व्याख्या के कारण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी अपने वैध अधिकारों से वंचित न हों।

- (vii) पदोन्नति में आरक्षण एवं संबंधित सेवा मामलों से जुड़े सभी लंबित एवं भविष्य के न्यायालयीन मामलों में रेलवे प्रशासन द्वारा प्रभावी एवं सक्षम कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर अनुभवी वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाए, ताकि कर्मचारियों एवं सरकार दोनों के हितों की रक्षा हो सके।
- (viii) यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी जोनल रेलवे अथवा उत्पादन इकाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों अथवा भारत सरकार की आरक्षण नीति की मनमानी, असंगत अथवा विपरीत व्याख्या न करे।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए संवैधानिक सुरक्षा एवं आरक्षण नीति तभी अपने अपेक्षित उद्देश्य को प्राप्त कर सकती है, जब संबंधित प्राधिकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों तथा DoPT एवं रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों को निष्ठापूर्वक एवं समान रूप से लागू करें।

अतः हम माननीय संसदीय समिति से इस गंभीर विषय में हस्तक्षेप करने तथा भारत सरकार की आरक्षण नीति एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी निर्णयों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित कदम उठाने का विनम्र अनुरोध करते हैं। साथ ही, जानबूझकर गैर-अनुपालन के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध उचित एवं कठोर कार्रवाई की सिफारिश करने का भी अनुरोध है।

3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों की पदोन्नति आरक्षण रोस्टर के बिंदुओं के अनुसार कड़ाई से करना

रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड ने मास्टर सर्कुलर संख्या 51 के पैरा VI/2(vii)(e) के माध्यम से स्पष्ट किया है कि यदि पैनल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई अभ्यर्थी वरिष्ठ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी से कनिष्ठ है, तो भी यदि आरक्षित रोस्टर बिंदु पहले आता है, तो SC/ST अभ्यर्थी को वरिष्ठ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी से पहले नियुक्त/पदोन्नत किया जा सकता है। तथापि, इन निर्देशों का जोनल रेलवे एवं उत्पादन इकाइयों द्वारा समान रूप से पालन नहीं किया जा रहा है।

रेलवे बोर्ड ने पत्र संख्या 2018-E(SCT)1/25/9 दिनांक 14.03.2024 के माध्यम से पैनल से पदोन्नति की प्रक्रिया को और स्पष्ट करते हुए कहा था कि:-

«“एक बार पैनल बन जाने के बाद, रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन पदोन्नति पैनल की स्थिति के अनुसार ही रखी जा जानी चाहिए, अर्थात् पैनल की स्थिति तब तक बनाए रखी जानी चाहिए जब तक पैनल पूरी तरह समाप्त न हो जाए और पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को अपनी बारी आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। अपनी योग्यता के आधार पर UR स्लॉट में पैनल के शीर्ष पर आने वाले वरिष्ठतम SC अभ्यर्थियों को UR रिक्ति उपलब्ध न होने के कारण दंडित/पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता तथा SC कोटे के अंतर्गत पैनल के निचले हिस्से में आने वाले SC अभ्यर्थियों को इस आधार पर पदोन्नति में कोई प्राथमिकता नहीं दी जा सकती कि SC रिक्तियाँ तत्काल उपलब्ध हैं। उन्हें अपनी बारी आने तक प्रतीक्षा करनी होगी।”»

इसके अतिरिक्त, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड ने पत्र संख्या 2018-E(SCT)1/25/9 दिनांक 06.01.2026 के माध्यम से स्पष्ट किया कि:-

«“रोस्टर बिंदु केवल रिक्तियों के आकलन के लिए होते हैं। एक बार पदोन्नति पैनल बन जाने के बाद पदोन्नतियाँ पैनल की स्थिति के अनुसार की जानी हैं, अर्थात् पैनल की स्थिति तब तक बनाए रखी

जानी है जब तक वह पूरी तरह समाप्त न हो जाए। पैनल में शामिल अभ्यर्थियों (SC/ST सहित) को अपनी बारी आने तक प्रतीक्षा करनी होगी।”»

रेलवे बोर्ड का दिनांक 14.03.2024 का स्पष्टीकरण एक विशिष्ट मामले के संदर्भ में जारी किया गया था, जिसमें आरक्षित वर्ग के एक वरिष्ठ कर्मचारी को प्रत्याशित रिक्ति (Anticipated Vacancy) के विरुद्ध सामान्य (UR) पद पर पैनल में शामिल किया गया था, जबकि आरक्षित वर्ग के एक कनिष्ठ कर्मचारी को एक मौजूदा आरक्षित पद के विरुद्ध पैनल में शामिल किया गया था।

हालाँकि, रेलवे बोर्ड ने अपने बाद के पत्र दिनांक 06.01.2026 के माध्यम से ऐसा प्रतीत होता है कि उस विशिष्ट मामले में लागू सिद्धांत को सभी मामलों पर लागू कर दिया है और यह निर्देश दिया है कि पदोन्नति निर्धारित आरक्षण रोस्टर के बजाय पैनल की स्थिति के आधार पर नियंत्रित की जाए।

इस प्रकार का सामान्य अनुप्रयोग आरक्षण रोस्टर के रख-रखाव एवं संचालन को नियंत्रित करने वाले मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। रोस्टर का उद्देश्य चिह्नित आरक्षित बिंदुओं/रिक्तियों का श्रेणीवार उपयोग निर्धारित करना है। केवल चयन पैनल में किसी कर्मचारी की स्थिति अपने आप में उस रोस्टर बिंदु का स्थान नहीं ले सकती और न ही उस रोस्टर बिंदु को निरस्त कर सकती है, जिसके विरुद्ध किसी रिक्ति को भरा जाना आवश्यक है।

दिनांक 14.03.2024 का स्पष्टीकरण किसी विशेष मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर आधारित था। अतः इसे प्रत्येक मामले में आरक्षण रोस्टर को दरकिनार करने के लिए एक सामान्य सिद्धांत के रूप में उचित रूप से नहीं माना जा सकता। दिनांक 06.01.2026 के पत्र के माध्यम से इसी तर्क को सामान्य रूप से लागू करने से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है तथा लागू रोस्टर स्थिति की अनदेखी करते हुए आरक्षित रोस्टर बिंदुओं को भरे जाने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

इस संबंध में पश्चिम रेलवे के राजकोट मंडल का एक विशिष्ट मामला उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। DRM(E), राजकोट मंडल ने पत्र संख्या ED/1025/2/2 Part-II दिनांक 24.09.2024 के माध्यम से चीफ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट (Ch.OS), लेवल-8 के पद पर पदोन्नति हेतु छह रिक्तियों का आकलन किया, जिनमें तीन UR, दो SC एवं एक ST रिक्ति शामिल थी।

चार कर्मचारियों को पैनल में शामिल किया गया, जिनमें से क्रम संख्या 1 एवं 2 पर स्थित कर्मचारियों को पदोन्नत कर दिया गया, जबकि क्रम संख्या 3 (UR) एवं 4 (SC) के कर्मचारी पदोन्नति की प्रतीक्षा में रह गए। उस समय एक SC रिक्ति उपलब्ध थी। तथापि, क्रम संख्या 4 पर स्थित SC कर्मचारी को पदोन्नत नहीं किया गया और उसे अगली UR रिक्ति की प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया, जो जुलाई 2025 के बाद अपेक्षित थी।

इसके पश्चात GM(E)/WR/CCG ने पत्र संख्या E(SCT)220/0 Vol. X दिनांक 20.12.2024 के माध्यम से सलाह दी कि ग्रुप 'C' एवं ग्रुप 'B' के कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश पैनल की स्थिति के अनुसार जारी किए जा रहे हैं।

यह दृष्टिकोण, जिसमें आरक्षित रिक्ति उपलब्ध होने के बावजूद पैनल की स्थिति के कारण पात्र SC/ST कर्मचारी को पदोन्नति नहीं मिलती, आरक्षण रोस्टर के विशिष्ट प्रावधानों तथा रेलवे बोर्ड के मास्टर सर्कुलर संख्या 51 के संदर्भ में गंभीर समीक्षा का विषय है।

एसोसिएशन का निवेदन है कि आरक्षण रोस्टर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षित बिंदुओं का पात्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों द्वारा विधिवत उपयोग हो। पैनल की स्थिति एवं आरक्षण रोस्टर बिंदुओं के बीच किसी भी प्रकार की अस्पष्टता का प्रभाव अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के पदोन्नति पदों पर वास्तविक प्रतिनिधित्व पर प्रतिकूल पड़ सकता है।

अतः माननीय संसदीय समिति से अनुरोध है कि वह रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड को दिनांक 06.01.2026 के पत्र में निहित निर्देशों की समीक्षा/पुनर्विचार करने की सिफारिश करे तथा यह स्पष्ट किया जाए कि पदोन्नति निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार ही सख्ती से नियंत्रित की जाती रहे।

साथ ही पैनल की स्थिति एवं आरक्षण रोस्टर बिंदुओं के परस्पर संबंध के संबंध में स्पष्ट एवं असंदिग्ध स्पष्टीकरण जारी किया जाए तथा मास्टर सर्कुलर संख्या 51 के पैरा VI/2(vii)(e) का कड़ाई एवं समान रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र SC/ST अभ्यर्थी को आरक्षण नीति एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप संबंधित आरक्षित रोस्टर बिंदु के विरुद्ध पदोन्नति प्रदान की जा सके।

4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के संबंध में रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड की नीति का गैर-कार्यान्वयन तथा जोनल/मंडल स्तर पर असंगत स्थानीय स्थानांतरण नीतियाँ बनाना।

रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रेलवे कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के मामलों में उनके हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से विशिष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।

प्रचलित नीति के अनुसार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को उनके गृह स्थान/गृह क्षेत्र के निकट पदस्थापित करने पर उचित विचार किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, यदि उसी स्टेशन पर रिक्ति उपलब्ध हो, तो जहाँ तक व्यावहारिक रूप से संभव हो, पदोन्नति पर SC/ST कर्मचारी को उसी स्टेशन पर पदस्थापित किया जाना चाहिए।

उनके स्थानांतरण भी केवल अपवादस्वरूप परिस्थितियों तथा ठोस एवं बाध्यकारी प्रशासनिक कारणों के आधार पर ही किए जाने चाहिए।

हालांकि, इन निर्देशों का जोनल रेलवे एवं उत्पादन इकाइयों द्वारा समान रूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। कई मामलों में जोनल/मंडल स्तर पर स्थानीय स्थानांतरण नीतियाँ, जैसे कि नाम-नोटिंग (Name Noting) नीति, बनाई गई हैं, जिनका प्रभाव रेल मंत्रालय/रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नीति एवं निर्देशों को कमजोर करने, प्रतिबंधित करने अथवा उनके स्थान पर लागू करने के रूप में पड़ता है।

इस प्रकार की अलग-अलग स्थानीय व्यवस्थाओं के परिणामस्वरूप SC/ST कर्मचारियों के साथ असमान व्यवहार होता है तथा रेल मंत्रालय/रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित सुरक्षात्मक उपायों के मूल उद्देश्य को ही निष्प्रभावी कर दिया जाता है। अधीनस्थ प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा ऐसी स्थानीय नीति नहीं अपनाई जानी चाहिए, जो सक्षम रेलवे बोर्ड प्राधिकारी द्वारा जारी प्रचलित नीति एवं निर्देशों के अनुरूप न हो अथवा जिसका प्रभाव उन नीतियों एवं निर्देशों को अधिरोहित (override) करने के रूप में पड़ता हो।

अतः अनुरोध है कि रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा सभी जोनल रेलवे एवं उत्पादन इकाइयों को स्पष्ट एवं एकरूप निर्देश जारी किए जाएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि—

- (i) SC/ST रेलवे कर्मचारियों को यथासंभव उनके मूल/गृहनगर के निकट पदस्थापित किया जाए;
- (ii) जहाँ उसी स्टेशन पर रिक्ति उपलब्ध हो, वहाँ पदोन्नति पर SC/ST कर्मचारियों को उसी स्टेशन पर पदस्थापित करने हेतु विचार किया जाए, बशर्ते कि लागू नियमों एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं का अनुपालन हो;
- (iii) SC/ST कर्मचारियों को सामान्यतः उसी ग्रेड में उनके स्टेशन से बाहर स्थानांतरित न किया जाए, सिवाय असाधारण परिस्थितियों तथा अत्यंत ठोस एवं अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों के;

- (iv) कोई भी जोनल रेलवे अथवा मंडल ऐसी स्थानीय स्थानांतरण नीति तैयार अथवा लागू न करे, जो रेल मंत्रालय/रेलवे बोर्ड की प्रचलित नीति/निर्देशों के विपरीत हो अथवा उन्हें कमजोर करती हो; तथा
- (v) SC/ST कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना के संबंध में पूरे भारतीय रेल पर एक समान नीति लागू की जाए।

माननीय संसदीय समिति से अनुरोध है कि वह रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड को SC/ST रेलवे कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना संबंधी उसकी नीति के कड़ाई से एवं एकरूपता के साथ कार्यान्वयन तथा रेलवे बोर्ड की प्रचलित नीति के विपरीत पाए जाने वाले किसी भी स्थानीय निर्देश की समीक्षा/वापसी के संबंध में उपयुक्त निर्देश जारी करने की अनुशंसा करे।

5. उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा SC/ST रेलवे कर्मचारियों के अंतर-रेलवे स्वयं के अनुरोध एवं पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में जारी निर्देशों की समीक्षा एवं वापसी।

भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली (Indian Railway Establishment Manual), खंड-I, 1989 के पैरा 102-A, 310 एवं 312 में निहित प्रचलित प्रक्रिया तथा समय-समय पर जारी प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार, एक वरिष्ठता इकाई से दूसरी वरिष्ठता इकाई में अनुरोध पर स्थानांतरण (Request Transfer) किसी भी ग्रेड में पारस्परिक विनिमय (Mutual Exchange) के आधार पर अनुमत है, जिसमें नियमों के अनुसार संबंधित दो वरिष्ठताओं में से जो निम्नतर वरिष्ठता हो, वह कर्मचारी को प्रदान की जाती है।

माननीय केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम द्वारा O.P. No. 2150/2002 में दिनांक 07.06.2005 को पारित आदेश तथा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, एर्नाकुलम पीठ द्वारा O.A. No. 612/2005 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड ने पत्र संख्या E(NG)I-2014/TR/16 दिनांक 14.08.2007 (RBE No.107/2007) के माध्यम से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया। इसके पैरा 3 में यह प्रावधान किया गया कि पदोन्नति के मामले में फीडर ग्रेड के कर्मचारियों को होने वाली कठिनाई से बचने के लिए पारस्परिक विनिमय स्थानांतरण सामान्यतः एक ही श्रेणी के कर्मचारियों के बीच, अर्थात् General के साथ General, SC के साथ SC तथा ST के साथ ST, अनुमत किए जाने चाहिए। पैरा 3.1 में पद-आधारित रोस्टर (Post-Based Rosters) के संदर्भ में भर्ती ग्रेड में निम्नतर वरिष्ठता (Bottom Seniority) पर किए जाने वाले स्थानांतरण की स्थिति को भी स्पष्ट किया गया।

इसके पश्चात रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड ने पत्र संख्या E(NG)I-2014/TR/16 दिनांक 22.10.2007 (RBE No.134/2007) के माध्यम से एक और स्पष्टीकरण जारी किया। इसमें अन्य बातों के साथ यह स्पष्ट किया गया कि चूंकि उक्त निर्देशों में भर्ती ग्रेड में अनुरोध पर निम्नतर वरिष्ठता पर स्थानांतरण के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, इसलिए भर्ती ग्रेड में पारस्परिक स्थानांतरण भी ऐसे किसी प्रतिबंध के बिना अनुमत होंगे।

हालांकि, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर के महाप्रबंधक द्वारा पत्र संख्या 939-E/0/Transfer Policy दिनांक 01.07.2016 के माध्यम से निर्देश जारी किए गए, जिनमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित प्रावधान किए गए—

- (i) **प्रत्यक्ष भर्ती (DR) ग्रेड में अंतर-रेलवे पारस्परिक स्थानांतरण** : एक ही समुदाय (General, OBC, SC अथवा ST) से संबंधित कर्मचारियों के बीच पारस्परिक स्थानांतरण अनुमत है।
- (ii) **पदोन्नति श्रेणियों में अंतर-रेलवे पारस्परिक स्थानांतरण** : अगस्त, 2007 के रेलवे बोर्ड के पत्र में निर्धारित सिद्धांत के अनुसार ऐसे स्थानांतरण समान समुदाय से संबंधित दो कर्मचारियों के बीच किए जा सकते हैं। इसे उपर्युक्त पैरा (i) के अनुसार लागू किया जाएगा।
- (iii) **उत्तर पश्चिम रेलवे से अन्य रेलवे को एकतरफा स्थानांतरण** : उत्तर पश्चिम रेलवे में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों के लिए, रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, कार्य की

आवश्यकता (exigencies of work) के अधीन बिना किसी प्रतिबंध के एकतरफा स्थानांतरण पर विचार किया जा सकता है।

- (iv) **अन्य रेलवे से उत्तर पश्चिम रेलवे में निम्नतर वरिष्ठता पर एकतरफा स्थानांतरण** : ऐसे स्थानांतरण पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि संबंधित समुदाय के लिए गंतव्य इकाई में कोई स्लॉट उपलब्ध हो।

उपर्युक्त प्रावधानों, विशेष रूप से उत्तर पश्चिम रेलवे से अन्य रेलवे को एकतरफा स्थानांतरण तथा अन्य रेलवे से उत्तर पश्चिम रेलवे में एकतरफा स्थानांतरण के बीच किए गए भेदभावपूर्ण प्रावधान, की तत्काल समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। जहां उत्तर पश्चिम रेलवे से अन्य रेलवे में स्थानांतरण चाहने वाले कर्मचारियों को निर्धारित शर्तों के अधीन ऐसे स्थानांतरण की अनुमति दी गई है, वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे में स्थानांतरण चाहने वाले कर्मचारियों पर गंतव्य इकाई में संबंधित समुदाय के स्लॉट की उपलब्धता के आधार पर एक अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया गया है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपर्युक्त न्यायिक कार्यवाहियां मुख्यतः अंतर-रेलवे पारस्परिक स्थानांतरण के मुद्दे से संबंधित थीं। अतः अंतर-रेलवे स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण (Own-Request Transfer) पर लगाया गया कोई भी प्रतिबंध रेलवे बोर्ड के नियमों एवं निर्देशों के अंतर्गत स्वतंत्र एवं विशिष्ट प्राधिकार पर आधारित होना आवश्यक है। रेलवे बोर्ड के RBE Nos.107/2007 एवं 134/2007 में निहित निर्देशों को, एसोसिएशन की जानकारी के अनुसार, न तो वापस लिया गया है और न ही किसी अन्य निर्देश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। अतः रेलवे बोर्ड के प्रचलित निर्देशों के विपरीत किसी भी स्थानीय निर्देश की उचित जांच एवं सुधारात्मक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।

यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि व्यक्तिगत जोनल रेलवे को सामान्यतः रेल मंत्रालय/रेलवे बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के विपरीत नीतियां बनाने अथवा लागू करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विभिन्न जोनल रेलवे में स्थानांतरण के लिए अलग-अलग शर्तें लागू होने से समान परिस्थितियों वाले रेलवे कर्मचारियों के साथ असमान व्यवहार हो सकता है तथा अनावश्यक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं।

अतः पूरे भारतीय रेल में अंतर-रेलवे स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण एवं पारस्परिक स्थानांतरण, विशेष रूप से SC/ST कर्मचारियों के मामले में, एक समान, पारदर्शी एवं भेदभावरहित नीति लागू किए जाने की आवश्यकता है।

माननीय संसदीय समिति से अनुरोध है कि वह रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड को निम्नलिखित की अनुशंसा करे:—

- (i) उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर के GM(P) द्वारा पत्र संख्या 939-E/0/Transfer Policy दिनांक 01.07.2016 के माध्यम से जारी निर्देशों की वैधानिकता एवं रेल मंत्रालय/रेलवे बोर्ड के प्रचलित निर्देशों के अनुरूप होने की स्थिति की तत्काल समीक्षा की जाए;
- (ii) उक्त निर्देशों को उस सीमा तक वापस लिया जाए, संशोधित किया जाए अथवा उपयुक्त रूप से रेलवे बोर्ड के प्रचलित निर्देशों के अनुरूप किया जाए, जिस सीमा तक वे रेल मंत्रालय/रेलवे बोर्ड के वर्तमान निर्देशों के असंगत पाए जाते हैं;
- (iii) RBE Nos.107/2007 एवं 134/2007 तथा तत्पश्चात जारी लागू निर्देशों का पूरे भारतीय रेल में एकरूपता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए;
- (iv) पूरे भारतीय रेल में अंतर-रेलवे स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण एवं पारस्परिक स्थानांतरण के लिए एक समान नीति निर्धारित की जाए; तथा

- (v) यह सुनिश्चित किया जाए कि SC/ST रेलवे कर्मचारियों पर रेल मंत्रालय/रेलवे बोर्ड के लागू नियमों एवं निर्देशों द्वारा समर्थित न होने वाले किसी भेदभावपूर्ण अथवा अतिरिक्त प्रतिबंध को लागू न किया जाए।

6. पात्र SC/ST रेलवे कर्मचारियों को पर्याप्त एवं उचित प्री-सेलेक्शन प्रशिक्षण प्रदान न किया जाना।

रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में पात्र SC/ST कर्मचारियों को प्री-सेलेक्शन प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि वे पदोन्नति हेतु आयोजित चयन प्रक्रियाओं, विशेष रूप से सेफ्टी एवं तकनीकी श्रेणियों, में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकें।

इस प्रकार के प्रशिक्षण का उद्देश्य पात्र SC/ST कर्मचारियों को विभागीय चयन की तैयारी के लिए उचित अवसर प्रदान करना तथा पदोन्नति में आरक्षण की नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाना है।

हालांकि, एसोसिएशन ने देखा है कि कई जोनल रेलवे एवं उत्पादन इकाइयों द्वारा इन निर्देशों का उचित एवं एकरूपता से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अनेक मामलों में निर्धारित लगभग 2-3 सप्ताह की अवधि के लिए पर्याप्त प्री-सेलेक्शन प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता तथा प्रशिक्षित प्रशिक्षकों एवं निर्धारित/संरचित पाठ्यक्रम वाले उपयुक्त प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया जाता।

विभिन्न जोनल रेलवे एवं उत्पादन इकाइयों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता, अवधि एवं पद्धति में भी काफी अंतर पाया जाता है। विशेष रूप से, प्री-सेलेक्शन प्रशिक्षण मुख्यतः अथवा पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से प्रदान करने की प्रथा अनेक पात्र SC/ST कर्मचारियों के लिए पर्याप्त प्रभावी सिद्ध नहीं हुई है, विशेषकर उन मामलों में जहां चयन में तकनीकी, व्यावहारिक अथवा सुरक्षा संबंधी विषय शामिल होते हैं। उपयुक्त मोबाइल फोन एवं पर्याप्त नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण कर्मचारी ऑनलाइन प्रशिक्षण को ठीक से प्राप्त नहीं कर पाते हैं और ऐसा प्रशिक्षण केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है।

अपर्याप्त प्रशिक्षण से पात्र SC/ST कर्मचारियों की तैयारी एवं आत्मविश्वास पर प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा इसके परिणामस्वरूप विभागीय चयन में उनके सफल न हो पाने की संभावना बढ़ सकती है। अतः प्रभावी प्री-सेलेक्शन प्रशिक्षण यह सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण घटक है कि आरक्षण के संवैधानिक एवं प्रशासनिक उद्देश्यों को पदोन्नति के लिए वास्तविक एवं सार्थक अवसरों में परिवर्तित किया जा सके।

अतः अनुरोध है कि रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा सभी जोनल रेलवे एवं उत्पादन इकाइयों को स्पष्ट एवं अनिवार्य निर्देश जारी किए जाएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि:—

- (i) जहां भी ऐसा प्रशिक्षण निर्धारित है, वहां पात्र SC/ST अभ्यर्थियों को विभागीय चयन से पूर्व प्री-सेलेक्शन प्रशिक्षण प्रदान किया जाए;
- (ii) लागू रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार पर्याप्त अवधि, अधिमानतः 2-3 सप्ताह, के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाए;
- (iii) प्रशिक्षण नियमित रूप से ऑनलाइन प्रशिक्षण से प्रतिस्थापित करने के बजाय उचित एवं उपयुक्त प्रशिक्षण केंद्रों पर आयोजित किया जाए;
- (iv) प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित एवं सक्षम प्रशिक्षकों की नियुक्ति/तैनाती की जाए;
- (v) संरचित एवं निर्धारित पाठ्यक्रम, अध्ययन सामग्री तथा उचित व्यावहारिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए;

(vi) पात्र SC/ST अभ्यर्थियों की उपस्थिति एवं सहभागिता का उचित रिकॉर्ड रखा जाए तथा उसकी निगरानी की जाए; और

(vii) प्री-सेलेक्शन प्रशिक्षण के कार्यान्वयन की समय-समय पर जोनल रेलवे एवं रेलवे बोर्ड स्तर पर समीक्षा की जाए, ताकि प्रशिक्षण में एकरूपता एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके।

माननीय संसदीय समिति से अनुरोध है कि वह रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड को पात्र SC/ST रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रभावी, पर्याप्त एवं एकरूप प्री-सेलेक्शन प्रशिक्षण सुनिश्चित करने हेतु समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा करे तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जहां प्रभावी तैयारी के लिए कक्षा-कक्ष/व्यावहारिक प्रशिक्षण आवश्यक हो, वहां अपनाया गया ऑनलाइन प्रशिक्षण निर्धारित क्लासरूम/प्राैक्टिकल प्रशिक्षण का विकल्प न बन जाए।

7. आरक्षित ग्रुप 'B' पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों को बुलाने की पांच अवसरों की सीमा समाप्त किया जाना

चयन के माध्यम से भरे जाने वाले आरक्षित ग्रुप 'B' के पर्याप्त संख्या में पद कथित रूप से रिक्त रह जाते हैं, क्योंकि वर्तमान विचार क्षेत्र (Zone of Consideration) में पात्र SC/ST अभ्यर्थियों की निर्धारित संख्या उपलब्ध नहीं हो पाती है।

चयन हेतु पात्र SC/ST कर्मचारियों को बुलाने के लिए प्रयासों/अवसरों की संख्या को सीमित करने वाला प्रतिबंध आरक्षित रिक्तियों को भरने पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसके परिणामस्वरूप, निचले ग्रेड में पात्र SC/ST कर्मचारियों की उपलब्धता होने के बावजूद आरक्षित पद लगातार रिक्त रह सकते हैं।

आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा आरक्षित रिक्तियों के लगातार संचित होते रहने को रोकने के लिए अनुरोध है कि आरक्षित ग्रुप 'B' पदों पर चयन हेतु पात्र SC/ST अभ्यर्थियों को बुलाने के संबंध में वर्तमान पांच अवसरों की सीमा की समीक्षा कर, लागू नियमों तथा न्यायिक/संवैधानिक आवश्यकताओं के अधीन इसे उपयुक्त रूप से समाप्त किया जाए।

जहां निर्धारित विचार क्षेत्र में आवश्यक संख्या में पात्र SC/ST अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, वहां वरिष्ठता सूची में क्रमशः नीचे के पदों पर स्थित पात्र SC/ST कर्मचारियों पर, जहां विधिक एवं प्रशासनिक रूप से अनुमेय हो, संबंधित वरिष्ठता सूची के अंतिम कर्मचारी तक विचार किया जा सकता है, ताकि केवल अपर्याप्त विचार क्षेत्र के कारण आरक्षित रिक्तियां खाली न रह जाएं।

माननीय संसदीय समिति से अनुरोध है कि वह पात्र SC/ST कर्मचारियों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने तथा आरक्षित ग्रुप 'B' पदों को अनावश्यक विलंब के बिना भरने को सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान निर्देशों में उपयुक्त संशोधन की अनुशंसा करे।

8. रेलवे बोर्ड, जोनल रेलवे, उत्पादन इकाई एवं मंडल स्तर पर SC/ST कर्मचारियों के लिए आरक्षण प्रकोष्ठों का उचित एवं विशिष्ट रूप से कार्य करना।

आरक्षण प्रकोष्ठों (Reservation Cells) की स्थापना मुख्यतः समन्वय अधिकारियों (Liaison Officers) को आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा भर्ती, पदोन्नति, रोस्टर, प्रतिनिधित्व एवं अन्य सेवा संबंधी मामलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।

हालांकि, इसके बाद SC/ST मामलों से संबंधित आरक्षण प्रकोष्ठों को अन्य श्रेणियों, जिनमें OBC, EWS, PwBD एवं अल्पसंख्यक (Minorities) शामिल हैं, से संबंधित अतिरिक्त दायित्व भी सौंप दिए गए हैं। इससे इन प्रकोष्ठों के कार्यभार में काफी वृद्धि हुई है और SC/ST के लिए उपलब्ध सुरक्षात्मक प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित विशिष्ट एवं केंद्रित ध्यान के कमजोर होने की संभावना उत्पन्न हो गई है।

यह उल्लेखनीय है कि रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित तथा जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (JAG) के पद पर कार्यरत अधिकारियों को सभी प्रतिष्ठानों, जिनमें जोनल रेलवे एवं उत्पादन इकाइयां भी शामिल हैं, में समन्वय अधिकारी (Liaison Officer) के रूप में नामित किया जाना आवश्यक है। हालांकि, कई मामलों में इन निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है तथा अनेक जोनल रेलवे एवं उत्पादन इकाइयों में पात्र JAG स्तर के SC/ST अधिकारियों के स्थान पर Senior Scale अथवा Assistant Grade के अधिकारियों को समन्वय अधिकारी नामित किया जा रहा है।

रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों से इस प्रकार का विचलन आरक्षण प्रकोष्ठ के प्रभावी कार्यकरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है तथा SC/ST के लिए आरक्षण नीति के उचित कार्यान्वयन की निगरानी की व्यवस्था को भी कमजोर कर सकता है।

अतः माननीय संसदीय समिति से अनुरोध है कि वह रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड को सभी जोनल रेलवे एवं उत्पादन इकाइयों को कड़े निर्देश जारी करने की अनुशंसा करे कि निर्धारित प्रावधान के अनुसार पात्र JAG स्तर के SC/ST अधिकारियों को समन्वय अधिकारी (Liaison Officer) के रूप में नामित किया जाए तथा उन्हें मुख्यतः आरक्षण प्रकोष्ठ के कार्य सौंपे जाएं और ऐसे असंबंधित अतिरिक्त कार्य न सौंपे जाएं, जो उनके दायित्वों के प्रभावी निर्वहन में बाधा उत्पन्न करें, ताकि वे आरक्षण नीति के उचित कार्यान्वयन तथा SC/ST रेलवे कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।

SC एवं ST से संबंधित संवैधानिक एवं वैधानिक आधार, ऐतिहासिक परिस्थितियां तथा विशिष्ट सुरक्षात्मक प्रावधान अन्य श्रेणियों पर लागू नीति ढांचे से भिन्न हैं। अतः SC/ST आरक्षण के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्थापित विशिष्ट तंत्र में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होना चाहिए तथा उसका मुख्य ध्यान SC/ST कर्मचारियों से संबंधित मामलों पर ही केंद्रित रहना चाहिए।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने भी सिफारिश की है कि आरक्षण प्रकोष्ठ में तैनात कर्मचारियों को विशेष रूप से SC/ST के कल्याण एवं हितों से संबंधित मामलों में ही लगाया जाना चाहिए तथा समन्वय अधिकारी को अन्य श्रेणियों से संबंधित जिम्मेदारियों का अतिरिक्त प्रभार एक साथ नहीं दिया जाना चाहिए, यदि ऐसा अतिरिक्त कार्य SC/ST से संबंधित दायित्वों के प्रभावी निर्वहन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता हो।

अतः अनुरोध है कि रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाएं:—

- (i) रेलवे बोर्ड, जोनल रेलवे, उत्पादन इकाई एवं मंडल स्तर पर समर्पित SC/ST आरक्षण प्रकोष्ठों का उचित एवं प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित किया जाए;
- (ii) सभी प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित Junior Administrative Grade (JAG) पदों पर कार्यरत अधिकारियों को समन्वय अधिकारी (Liaison Officers) के रूप में नामित किया जाना सुनिश्चित किया जाए;
- (iii) यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे आरक्षण प्रकोष्ठों की प्राथमिक जिम्मेदारी SC एवं ST से संबंधित आरक्षण नीति एवं सुरक्षात्मक प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन बनी रहे;
- (iv) आरक्षण प्रकोष्ठ एवं नामित समन्वय अधिकारी को ऐसे अतिरिक्त दायित्व सौंपने से बचा जाए, जो SC/ST से संबंधित कार्यों के प्रभावी निर्वहन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हों;
- (v) आरक्षण प्रकोष्ठ के कार्यभार एवं दायित्वों के अनुरूप पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाए; तथा

(vi) आरक्षण प्रकोष्ठ के प्रभावी कार्यकरण के लिए, जहां आवश्यक हो, Chief Office Superintendent (Ch.OS), Office Superintendent (OS), Senior Clerks, Clerks, Chief Personnel Inspector (CPI) तथा Chief Law Assistant (CLA) सहित पर्याप्त पद/कर्मचारी स्वीकृत एवं तैनात किए जाएं।

माननीय संसदीय समिति से अनुरोध है कि वह रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड को भारतीय रेल के सभी उपयुक्त स्तरों पर SC/ST आरक्षण मामलों के लिए एक प्रभावी, पर्याप्त मानव संसाधन से युक्त एवं समर्पित संस्थागत तंत्र स्थापित एवं बनाए रखने तथा उसके कार्यकरण की समय-समय पर निगरानी सुनिश्चित करने की अनुशंसा करे।

9. चयनित श्रेणी में चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित SC/ST प्रत्यक्ष भर्ती अभ्यर्थियों के लिए वैकल्पिक नियुक्ति का प्रावधान बहाल किया जाना।

रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र संख्या E(SCT)58CM1/2/13 दिनांक 25.11.1958 एवं 10.06.1959 तथा पत्र संख्या E(SCT)15/5 दिनांक 13.02.1976 के माध्यम से ऐसे निर्देश जारी किए थे, जिनमें अन्य बातों के साथ यह प्रावधान किया गया था कि किसी विशेष श्रेणी के लिए चयनित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रत्यक्ष भर्ती अभ्यर्थी, यदि बाद में उस श्रेणी के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं, तो उन्हें ऐसी अन्य श्रेणियों में नियुक्ति के लिए विचाराधीन किया जा सकता है, जिनके लिए वे चिकित्सकीय रूप से योग्य हों। विशेष रूप से ऐसी स्थिति में, जहां आरक्षित रिक्तियां/कमी (Shortfall) उपलब्ध हो, यह नियुक्ति निर्धारित शर्तों तथा महाप्रबंधक में निहित शक्तियों के अधीन की जा सकती थी।

यह समझा जाता है कि ये निर्देश प्रारंभ में विशेष रूप से SC/ST अभ्यर्थियों के लिए लागू किए गए थे तथा बाद में इन्हें General श्रेणी के अभ्यर्थियों तक भी विस्तारित किया गया। इस लाभकारी प्रावधान को बाद में वापस लिए जाने से उन SC/ST अभ्यर्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया में सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त की है, लेकिन केवल इसलिए नियुक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जिस विशेष श्रेणी के लिए उनका प्रारंभ में चयन हुआ था, उसके लिए उन्हें चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाया गया है।

जहां ऐसे अभ्यर्थी किसी अन्य उपलब्ध श्रेणी के लिए चिकित्सकीय रूप से योग्य हों तथा उनके पास निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक योग्यताएं हों, वहां वैकल्पिक नियुक्ति का अवसर न दिया जाना प्रशिक्षित एवं अन्यथा पात्र मानव संसाधन के नुकसान का कारण बन सकता है तथा SC/ST अभ्यर्थियों के हितों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

इस प्रावधान का मूल उद्देश्य ऐसे SC/ST अभ्यर्थियों को वैकल्पिक अवसर प्रदान करना था, जिनका चयन पहले ही हो चुका था, लेकिन चिकित्सकीय आधार पर उन्हें मूल रूप से आवंटित श्रेणी में नियुक्त नहीं किया जा सकता था। अतः एसोसिएशन का प्रस्तुतिकरण है कि इस मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, विशेषकर उन मामलों में जहां उपयुक्त वैकल्पिक पद उपलब्ध हों तथा अभ्यर्थी निर्धारित चिकित्सकीय एवं अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करता हो।

अतः अनुरोध है कि रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा पूर्व में लागू इस प्रावधान को वापस लिए जाने के निर्णय की समीक्षा की जाए तथा ऐसे SC/ST प्रत्यक्ष भर्ती अभ्यर्थियों की वैकल्पिक नियुक्ति के लिए उपयुक्त तंत्र बहाल करने पर विचार किया जाए, जिन्हें प्रारंभ में चयनित श्रेणी के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया गया हो, लेकिन वे किसी अन्य उपयुक्त श्रेणी के लिए चिकित्सकीय रूप से योग्य हों। यह नियुक्ति पदों की उपलब्धता, निर्धारित योग्यताओं, चिकित्सकीय मानकों तथा अन्य लागू नियमों के अधीन हो सकती है।

माननीय संसदीय समिति से अनुरोध है कि वह रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड को इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने तथा पात्र SC/ST चिकित्सकीय रूप से डी-कैटेगोराइज्ड अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त सुरक्षात्मक प्रावधान बहाल करने हेतु आवश्यक कदम उठाने की अनुशंसा करे।

10. ग्रुप 'D' / लेवल-1 पदों पर अखिल भारतीय आधार के बजाय क्षेत्रीय आधार पर भर्ती।

प्रवेश स्तर के ग्रुप 'D' / लेवल-1 पदों पर भर्ती के मामले में उनके कार्यों की प्रकृति, तुलनात्मक रूप से निम्न वेतन स्तर तथा ऐसे पदों के लिए आवश्यक कार्यबल के मुख्यतः स्थानीय/क्षेत्रीय स्वरूप को देखते हुए विशेष विचार किए जाने की आवश्यकता है।

कुछ क्षेत्रों में लागू आरक्षण प्रतिशत अखिल भारतीय आधार पर प्रत्यक्ष भर्ती के लिए लागू आरक्षण प्रतिशत से भी भिन्न हैं। उदाहरण के लिए, Northeast Frontier Railway के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र में SC/ST के लिए आरक्षण की स्थिति ऐतिहासिक रूप से अखिल भारतीय प्रतिशत से अलग रही है। इसी प्रकार, मुख्यतः North Western Railway के अधिकार क्षेत्र में आने वाले राजस्थान में भी लागू आरक्षण की स्थिति अखिल भारतीय प्रतिशत से भिन्न है।

ग्रुप 'D' / लेवल-1 के कर्मचारी सामान्यतः समाज के निम्न-आय वर्गों से संबंधित होते हैं। ऐसे कर्मचारियों को अपने मूल राज्य अथवा क्षेत्र से बहुत दूर सेवा करने के लिए बाध्य किए जाने से आवास, भोजन, यात्रा तथा अन्य जीवन-यापन संबंधी खर्चों के कारण उन पर काफी वित्तीय एवं सामाजिक कठिनाई पड़ सकती है। अनेक मामलों में कर्मचारी अपने आश्रित माता-पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों को पर्याप्त आर्थिक एवं पारिवारिक सहायता देने में भी सक्षम नहीं हो पाता है।

अतः एसोसिएशन का प्रस्तुतिकरण है कि ऐसे प्रवेश स्तर के पदों पर भर्ती करते समय रोजगार की क्षेत्रीय प्रकृति, स्थानीय सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों तथा कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के सामने आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्षेत्रीय भर्ती व्यवस्था से उन क्षेत्रों में स्थित पदों के लिए पात्र SC/ST समुदायों के अभ्यर्थियों को भी अधिक अवसर प्राप्त होंगे।

अतः अनुरोध है कि रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा ग्रुप 'D' / लेवल-1 श्रेणियों में भर्ती की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा की जाए तथा जहां विधिक एवं प्रशासनिक रूप से व्यवहार्य हो और संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो, वहां अप्रतिबंधित अखिल भारतीय आधार के बजाय क्षेत्रीय आधार पर भर्ती को बहाल/प्रारंभ करने पर विचार किया जाए।

ऐसी नीति में यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संबंधित क्षेत्रों में SC एवं ST के लिए लागू आरक्षण प्रतिशत तथा अन्य संवैधानिक सुरक्षात्मक प्रावधानों का पूर्ण संरक्षण एवं कार्यान्वयन हो।

माननीय संसदीय समिति से अनुरोध है कि वह रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड को ग्रुप 'D' / लेवल-1 पदों पर क्षेत्रीय आधार पर भर्ती की व्यवहार्यता की जांच करने की अनुशंसा करे, विशेष रूप से निम्न वेतन संरचना, ऐसे रोजगार की स्थानीय प्रकृति तथा SC/ST अभ्यर्थियों के सामाजिक-आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए।

11. रेलवे सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी ब्रोचर का संशोधन।

रेलवे सेवाओं में SC/ST के लिए आरक्षण संबंधी ब्रोचर को अंतिम बार वर्ष 1984 में अद्यतन किया गया था तथा इसका तृतीय संस्करण (1985) वर्ष 1986 में मुद्रित किया गया था। वर्ष 1986 के बाद SC/ST के लिए आरक्षण से संबंधित अनेक नीतिगत पत्रों में समय-समय पर परिवर्तन किए गए हैं। इनमें से कुछ निर्देश/दिशा-निर्देश समाप्त किए जा चुके हैं अथवा अन्य निर्देशों द्वारा प्रतिस्थापित किए जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 08.09.1993 से सरकारी सेवाओं में OBC के लिए आरक्षण लागू किए जाने के पश्चात, रेलवे सेवाओं में प्रत्यक्ष भर्ती में OBC एवं EWS के आरक्षण से संबंधित रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा अनेक नीतिगत पत्र/निर्देश जारी किए गए हैं, जिन्हें उपर्युक्त ब्रोचर में शामिल किया जाना आवश्यक है।

तत्कालीन माननीय रेल मंत्री ने रेलवे सेवा में SC/ST के लिए आरक्षण संबंधी ब्रोचर के संशोधन हेतु एक समिति के गठन को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। उक्त समिति में एक अध्यक्ष एवं पांच सदस्य थे तथा इसका

गठन अधिसूचना संख्या ERB-I/2014/23/9 दिनांक 17.02.2014 के माध्यम से किया गया था। समिति को छह माह की अवधि के भीतर संशोधित ब्रोचर प्रकाशित करने का लक्ष्य दिया गया था।

इस बीच, रेल मंत्रालय द्वारा उक्त समिति को भंग कर दिया गया, जबकि समिति द्वारा उपर्युक्त ब्रोचर के संशोधन का 50 प्रतिशत से अधिक कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका था।

माननीय संसदीय समिति से अनुरोध है कि वह रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड को ब्रोचर के संशोधन का शेष कार्य पूरा करने के लिए एक नई समिति नामित करने अथवा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करने की अनुशंसा करे।

12. एसोसिएशन के पदाधिकारियों को रेल भवन में प्रवेश हेतु गेट पास की सुविधा प्रदान किया जाना।

रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, All India SC & ST Railway Employees Association के पदाधिकारी एसोसिएशन को प्रदान की गई गेट पास सुविधा के पात्र हैं। हालांकि, रेल भवन में प्रवेश के संबंध में वर्तमान में केंद्रीय कार्यकारिणी (Central Executive Committee) के पदाधिकारियों को केवल छह माह की सीमित अवधि के लिए अस्थायी गेट पास जारी किए जा रहे हैं, जबकि निर्वाचित पदाधिकारी का कार्यकाल केंद्रीय स्तर पर तीन वर्ष का होता है। इससे एसोसिएशन के दैनिक कार्यों के संचालन तथा SC/ST रेलवे कर्मचारियों से संबंधित सेवा मामलों एवं नीतिगत विषयों को आगे बढ़ाने के लिए पदाधिकारियों को रेल भवन में प्रवेश करने में काफी कठिनाई होती है।

एसोसिएशन PREM (Participation of Railway Employees in Management) Group की सदस्य है तथा इसका PREM कार्यालय कमरा संख्या 7 (GF), ग्राउंड फ्लोर, रेल भवन में स्थित है। केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों को SC/ST रेलवे कर्मचारियों के कल्याण, आरक्षण एवं सेवा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर वरिष्ठ रेलवे बोर्ड अधिकारियों के साथ बैठकों एवं चर्चाओं के लिए रेलवे बोर्ड में बार-बार जाना पड़ता है। अल्प अवधि के अंतराल पर अस्थायी गेट पास प्राप्त करने/पुनः वैध कराने की आवश्यकता से अनावश्यक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं तथा एसोसिएशन के प्रभावी कार्यकरण में बाधा आती है।

यह उल्लेखनीय है कि PREM Group के अन्य सदस्यों, अर्थात् AIRF एवं NFIR, के PREM कार्यालय रेल भवन के अंदर स्थित हैं तथा उनके पदाधिकारियों को रेल भवन में प्रवेश के लिए स्थायी/दीर्घावधि के गेट पास प्रदान किए जाते हैं। इस एसोसिएशन को, PREM Group की सदस्यता तथा रेलवे बोर्ड द्वारा अन्य PREM Group सदस्यों के समान सुविधाएं प्रदान करने के निर्णय के बावजूद, समान सुविधा से वंचित किया जाना भेदभावपूर्ण व्यवहार के समान है।

अतः माननीय संसदीय समिति से अनुरोध है कि वह रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड को एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को रेल भवन में प्रवेश हेतु कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा लागू सुरक्षा व्यवस्थाओं के अंतर्गत अनुमत इससे अधिक अवधि के लिए गेट पास प्रदान करने की अनुशंसा करे, ताकि PREM Group के अन्य सदस्यों तथा संबंधित रेलवे बोर्ड अधिकारियों को उपलब्ध सुविधा के अनुरूप एसोसिएशन को भी समान सुविधा प्राप्त हो सके।

13. मंडल, वर्कशॉप, स्टोर्स एवं ADEN स्तर पर आरक्षण रोस्टरों का उचित रख-रखाव तथा रोस्टर रजिस्ट्रों का नियमित निरीक्षण।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने अपनी 8वीं रिपोर्ट के पैरा 1.26 में यह सिफारिश की थी कि सरकारी सेवाओं में SC/ST के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की निगरानी के लिए रोस्टर एक महत्वपूर्ण तंत्र है तथा रोस्टरों के उचित रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए इनके रख-रखाव की जिम्मेदारी सक्षम एवं अनुभवी कर्मचारियों को सौंपी जानी चाहिए।

उपयुक्त सिफारिश पर रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा विचार किया गया तथा उसे स्वीकार किया गया। इसके अनुपालन में रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड ने पत्र संख्या 96E(SCT)/80/1 Part-I दिनांक 18.09.1998 के माध्यम से SC/ST के कल्याण के संबंध में निर्देश जारी किए, जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि रोस्टर वास्तव में किसी संगठन का दर्पण (Mirror) होते हैं और उनमें SC/ST के प्रतिनिधित्व की स्पष्ट तस्वीर परिलक्षित होनी चाहिए। यह भी निर्देशित किया गया कि रोस्टरों का उचित रख-रखाव किया जाए तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित अंतराल पर उनकी जांच की जाए।

हालांकि, भारतीय रेल के विभिन्न स्तरों पर इन निर्देशों का प्रभावी रूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। विशेष रूप से जोनल, मंडल, वर्कशॉप, स्टोर्स, ADEN कार्यालयों तथा अन्य फील्ड इकाइयों में रखे जाने वाले रोस्टर रजिस्ट्रों का सक्षम प्राधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर निरीक्षण एवं सत्यापन नहीं किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप विसंगतियां उत्पन्न होती हैं और आरक्षण नीति के सही कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है।

इसके अतिरिक्त, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, Liaison Officer को मुख्य रूप से आरक्षण प्रकोष्ठ के कार्य के लिए नामित किया जाना आवश्यक है। हालांकि, यह देखा गया है कि कई जोनल रेलवे में Liaison Officers को अन्य कार्य भी सौंप दिए जाते हैं, जिसके कारण वे मंडल, वर्कशॉप एवं अन्य इकाई स्तरों पर रोस्टर रजिस्ट्रों के निरीक्षण एवं सत्यापन के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं।

यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड के निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण रोस्टर गोपनीय दस्तावेज नहीं हैं तथा आरक्षण बिंदुओं के सत्यापन के लिए उनका निरीक्षण किया जा सकता है। हालांकि, वर्तमान में रोस्टरों का रख-रखाव HRMS के माध्यम से किया जा रहा है और वर्तमान व्यवस्था एसोसिएशन को विभिन्न स्तरों पर रोस्टर बिंदुओं की जांच करने तथा आरक्षण के उचित कार्यान्वयन का सत्यापन करने के लिए पर्याप्त पहुंच उपलब्ध नहीं कराती है।

अतः माननीय संसदीय समिति से अनुरोध है कि वह रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड को निम्नलिखित के संबंध में कड़े निर्देश जारी करने की अनुशंसा करे:—

- (i) जोनल, मंडल, वर्कशॉप, स्टोर्स, ADEN एवं अन्य इकाई स्तरों पर आरक्षण रोस्टरों का उचित एवं सटीक रख-रखाव सुनिश्चित किया जाए;
- (ii) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा रोस्टर रजिस्ट्रों का नियमित निरीक्षण एवं सत्यापन सुनिश्चित किया जाए;
- (iii) आरक्षण प्रकोष्ठ के कार्य के लिए समर्पित एवं पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित Liaison Officers की पदस्थापना/नामांकन सुनिश्चित किया जाए;
- (iv) यह सुनिश्चित किया जाए कि Liaison Officers को ऐसे असंबंधित कार्यों से भारग्रस्त न किया जाए, जो आरक्षण संबंधी निरीक्षण एवं सत्यापन के कार्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हों;
- (v) HRMS अथवा अन्य माध्यम से ऐसी उपयुक्त व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, जिसके माध्यम से एसोसिएशन के अधिकृत प्रतिनिधि आरक्षण रोस्टर बिंदुओं का सत्यापन कर सकें; तथा
- (vi) यह सुनिश्चित किया जाए कि आरक्षण एवं रोस्टर के कार्यान्वयन से संबंधित SC/ST रेलवे कर्मचारियों की शिकायतों की शीघ्र जांच कर उनका समयबद्ध निवारण किया जाए।

14. SC एवं ST के बीच आरक्षित रिक्तियों के विनिमय (Exchange) के नियम की बहाली।

पूर्व में, जब किसी विशेष आरक्षित श्रेणी, अर्थात् SC अथवा ST के लिए आरक्षित रिक्ति को उस श्रेणी के उपयुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने के कारण, निर्धारित छूट एवं रियायतें प्रदान करने के बावजूद नहीं भरा जा सकता था, तब लागू नियमों के अधीन अन्य आरक्षित श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी पर विचार करने का प्रावधान था।

इस विनिमय व्यवस्था (System of Exchange) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि SC एवं ST को संयुक्त रूप से प्रदान किए गए आरक्षण का प्रभावी उपयोग हो सके। जब कोई आरक्षित रिक्ति निर्धारित अवधि तक रिक्त रहती थी, तो इस शर्त के अधीन कि SC एवं ST के लिए संयुक्त कुल आरक्षण निर्धारित 22.5% (SC के लिए 15% एवं ST के लिए 7.5%) से अधिक न हो, SC के लिए आरक्षित रिक्ति को ST अभ्यर्थी द्वारा तथा ST के लिए आरक्षित रिक्ति को SC अभ्यर्थी द्वारा भरा जा सकता था।

लागू निर्देशों के अनुसार, कुछ ग्रुप 'B' चयन पदों में, उसी चयन प्रक्रिया के दौरान भी ऐसा विनिमय लागू था, जबकि अन्य मामलों में तीसरे आगामी भर्ती वर्ष में ऐसा विनिमय अनुमत था।

बाद में, हालांकि, SC एवं ST के बीच आरक्षित रिक्तियों के विनिमय की इस व्यवस्था को इस आधार पर समाप्त कर दिया गया कि ऐसा विनिमय किसी एक समुदाय के आरक्षण प्रतिशत में वृद्धि का कारण बन सकता है।

सादर प्रस्तुत है कि SC एवं ST के बीच रिक्तियों का विनिमय इन दोनों संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त आरक्षित श्रेणियों के बीच एक आंतरिक समायोजन (Internal Adjustment) है और इससे निर्धारित 22.5% की सीमा से अधिक संयुक्त आरक्षण में कोई वृद्धि नहीं होती। ऐसी व्यवस्था का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि जब दोनों आरक्षित समुदायों में से किसी एक का पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हो, तब आरक्षित रिक्तियां खाली न रहें।

विनिमय व्यवस्था समाप्त किए जाने से आरक्षित रिक्तियों के उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इसके परिणामस्वरूप आरक्षित पद लंबे समय तक रिक्त रह जाते हैं।

अतः माननीय संसदीय समिति से अनुरोध है कि वह रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड को इस मामले की समीक्षा करने तथा SC एवं ST के बीच आरक्षित रिक्तियों के विनिमय नियम (Rule of Exchange) को इस शर्त के अधीन बहाल करने की अनुशंसा करे कि SC एवं ST के लिए संयुक्त आरक्षण निर्धारित 22.5% कोटे के भीतर ही रहे, ताकि आरक्षित रिक्तियां अनावश्यक रूप से रिक्त न रहें।

15. ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के पदाधिकारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।

वर्ष 1981-82 के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति की चौथी रिपोर्ट की सिफारिश संख्या 18 के क्रियान्वयन संबंधी पैरा, जिसे रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा पत्र संख्या 85-E(SCT)/74/1 दिनांक 10.10.1985 के माध्यम से प्रसारित किया गया था, में निम्नलिखित प्रावधान किया गया था:—

«“SC/ST कर्मचारियों की एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भी ऐसे प्रशिक्षण से अवगत कराया जाना चाहिए, ताकि वे सेवा संबंधी मामलों में शिकायतों को उचित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने में अधिक जागरूक एवं विवेकपूर्ण हो सकें।”»

उपर्युक्त सिफारिश SC/ST कर्मचारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के महत्व को स्वीकार करती है, ताकि वे सेवा नियमों, आरक्षण नीति तथा सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष वास्तविक शिकायतें प्रस्तुत करने की उचित प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ सकें।

हालांकि, वर्तमान में जोनल रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों (ZRTIs) में एसोसिएशन के पदाधिकारियों के लिए कोई समर्पित एवं संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, ZRTIs में वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यतः रेलवे संचालन, सुरक्षा तथा अन्य विभागीय आवश्यकताओं से संबंधित हैं और एसोसिएशन के पदाधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु प्रशिक्षण स्लॉट, कक्षाओं एवं उपयुक्त प्रशिक्षकों की उपलब्धता सीमित है।

इन सीमाओं को देखते हुए एसोसिएशन ने समय-समय पर Apex/Central स्तर पर अपने स्वयं के प्रबंध से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं तथा प्रतिभागियों के प्रशिक्षण, भोजन एवं आवास की व्यवस्था स्वयं की है और आरक्षण नीति, सेवा मामलों एवं संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों एवं उपयुक्त प्रशिक्षकों को आमंत्रित किया है। हालांकि, जोनल रेलवे एवं उत्पादन इकाइयां सामान्यतः एसोसिएशन को उपयुक्त स्थानों पर ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दे रही हैं।

सादर प्रस्तुत है कि एसोसिएशन के पदाधिकारियों को व्यवस्थित प्रशिक्षण प्रदान करने से न केवल आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को मजबूत किया जा सकेगा, बल्कि पदाधिकारी वास्तविक शिकायतों को अधिक जानकारीपूर्ण, रचनात्मक एवं विधिक रूप से उपयुक्त तरीके से प्रस्तुत करने में भी सक्षम होंगे, जिससे अनावश्यक पत्राचार एवं विवादों में कमी आएगी।

अतः माननीय संसदीय समिति से अनुरोध है कि वह रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड को सभी जोनल रेलवे एवं उत्पादन इकाइयों को आवश्यक निर्देश जारी करने की अनुशंसा करे, ताकि—

- (i) जहां संभव हो, ZRTIs में उपयुक्त प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ एसोसिएशन के पदाधिकारियों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं;
- (ii) यदि ZRTIs में उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध न हों, तो एसोसिएशन को अपनी पसंद के अन्य उपयुक्त स्थानों पर ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी जाए;
- (iii) एसोसिएशन को प्रशिक्षकों, प्रशिक्षण सामग्री, प्रतिभागियों के भोजन एवं आवास की अपनी व्यवस्था करने की अनुमति दी जाए;
- (iv) ऐसे कार्यक्रमों में पदाधिकारियों की भागीदारी के लिए आवश्यक प्रशासनिक सहयोग एवं सुविधा प्रदान की जाए; तथा
- (v) जहां आवश्यक समझा जाए, ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को 15 दिनों तक आयोजित करने की अनुमति दी जाए, ताकि पदाधिकारी आरक्षण नीति, सेवा नियमों, रोस्टर रख-रखाव, पदोन्नति संबंधी मामलों तथा सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष शिकायतें प्रस्तुत करने की प्रक्रियाओं का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर सकें।

ऐसा प्रशिक्षण भारतीय रेल में SC/ST के लिए संवैधानिक सुरक्षात्मक प्रावधानों एवं आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के व्यापक हित में होगा।

16. भारतीय रेल में निजीकरण, आउटसोर्सिंग एवं ठेका प्रणाली का SC/ST कर्मचारियों के आरक्षण एवं रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव।

भारतीय रेल की विभिन्न गतिविधियों में निजीकरण, आउटसोर्सिंग एवं ठेका प्रणाली को अनुचित रूप से बढ़ावा दिए जाने तथा इसके बढ़ते प्रचलन से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित कर्मचारियों के लिए उपलब्ध संवैधानिक सुरक्षात्मक प्रावधानों एवं रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

भारत सरकार की आरक्षण नीति मुख्य रूप से सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। हालांकि, जब नियमित रेलवे

गतिविधियों एवं पदों को निजीकरण, आउटसोर्सिंग एवं संविदात्मक व्यवस्थाओं के माध्यम से तेजी से निजी एजेंसियों को हस्तांतरित किया जाता है, तो इन समुदायों को आरक्षण के लाभ प्रभावी रूप से प्राप्त नहीं हो पाते, क्योंकि सरकारी रोजगार पर लागू वर्तमान आरक्षण प्रावधान सामान्यतः निजी क्षेत्र के रोजगार पर लागू नहीं होते हैं।

भारतीय रेल केवल एक वाणिज्यिक संगठन नहीं है; यह एक महत्वपूर्ण लोक सेवा एवं कल्याणोन्मुख संस्था के रूप में कार्य करती है तथा देश के नागरिकों को आवश्यक सेवा प्रदान करती है। रेलवे की गतिविधियों का अत्यधिक एवं अनुचित निजीकरण तथा आउटसोर्सिंग इस मूल लोक-सेवा उद्देश्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है तथा रेलवे में नियमित रोजगार के अवसरों के दायरे को भी कम कर सकता है।

आउटसोर्सिंग एवं ठेका प्रणाली की प्रथा विशेष रूप से उन मामलों में चिंता का विषय है, जहां रेलवे की आवश्यक एवं सुरक्षा संबंधी गतिविधियां रेलवे सुरक्षा, जवाबदेही, पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण एवं परिचालन दक्षता पर दीर्घकालिक प्रभावों पर पर्याप्त विचार किए बिना निजी ठेकेदारों को सौंप दी जाती हैं। रेलवे की किसी भी गतिविधि के पुनर्गठन, आउटसोर्सिंग अथवा निजीकरण से संबंधित निर्णय में रेलवे सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, रेलवे के नियमित कार्यों का बड़े पैमाने पर निजी एजेंसियों को हस्तांतरण SC एवं ST के लिए आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सीधे प्रभावित करता है। जैसे-जैसे नियमित रेलवे सेवाओं में रोजगार के अवसर कम होते हैं, वैसे-वैसे इन समुदायों के लिए सरकारी सेवा में संवैधानिक रूप से अपेक्षित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के अवसर भी कम होते जाते हैं।

अतः माननीय संसदीय समिति से सादर अनुरोध है कि वह:—

- (i) रेलवे की गतिविधियों के निजीकरण, आउटसोर्सिंग एवं ठेका प्रणाली की प्रथा की जांच एवं समीक्षा करे, विशेष रूप से उन मामलों में जहां ऐसी व्यवस्था के कारण नियमित रोजगार के अवसर कम होते हैं;
- (ii) नियमित एवं आवश्यक रेलवे गतिविधियों की अनुचित आउटसोर्सिंग एवं निजीकरण को बंद किए जाने की अनुशंसा करे, विशेष रूप से रेलवे सुरक्षा एवं मुख्य परिचालन कार्यों से संबंधित क्षेत्रों में;
- (iii) यह सुनिश्चित करे कि रेलवे की किसी भी गतिविधि को आउटसोर्स अथवा निजीकरण करने का निर्णय केवल रेलवे सुरक्षा, रोजगार, जवाबदेही, जनहित तथा संवैधानिक आरक्षण नीति पर उसके प्रभाव के व्यापक आकलन के बाद ही लिया जाए;
- (iv) रेल मंत्रालय को यह अनुशंसा करे कि जहां रेलवे की गतिविधियां आवश्यक रूप से निजी एजेंसियों अथवा ठेकेदारों को सौंपी जाती हैं, वहां लागू कानून एवं सरकारी नीति के अनुरूप संबंधित अनुबंधों, निविदाओं एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं में SC एवं ST के लिए उपयुक्त एवं लागू करने योग्य आरक्षण प्रावधान शामिल किए जाएं;
- (v) यह सुनिश्चित किया जाए कि आउटसोर्सिंग एवं संविदात्मक व्यवस्थाएं सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े रोजगार में SC एवं ST को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के संवैधानिक उद्देश्य से बचने का माध्यम न बनें;
- (vi) रेल मंत्रालय को यह निर्देश दिया जाए कि वह नियमित रेलवे पदों/गतिविधियों की संख्या एवं प्रकृति की व्यापक समीक्षा करे, जिन्हें समाप्त, सरेंडर, आउटसोर्स अथवा संविदात्मक कार्य में परिवर्तित किया गया है तथा इसके परिणामस्वरूप SC/ST के प्रतिनिधित्व पर पड़े प्रभाव का आकलन करे;

(vii) इस तथ्य पर उचित विचार किया जाए कि किसी रेलवे गतिविधि का निजीकरण, आउटसोर्सिंग अथवा ठेकेदारों को सौंपे जाने के संबंध में निर्णय लेते समय वाणिज्यिक विचारों की अपेक्षा रेलवे सुरक्षा एवं जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

उपर्युक्त के मद्देनजर, माननीय संसदीय समिति से अनुरोध है कि वह इस मामले का उचित संज्ञान लेते हुए SC/ST समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, भारतीय रेल में नियमित रोजगार के अवसरों को सुरक्षित रखने, रेलवे सुरक्षा की रक्षा करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों की अनुशंसा करे कि निजीकरण, आउटसोर्सिंग अथवा ठेका प्रणाली के नाम पर भारतीय रेल के लोक-सेवा एवं कल्याणकारी उद्देश्यों से समझौता न किया जाए।

17. SC एवं ST की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रतिशत में संशोधन।

1991 की जनगणना के अनुसार, देश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 15.47% से बढ़कर 16.00% हो गई थी, जबकि अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 7.85% से बढ़कर 8.08% हो गई थी। इसके अतिरिक्त, 2011 की जनगणना के अनुसार SC की जनसंख्या 16.20% तथा ST की जनसंख्या 8.20% थी और अब यह लगभग 17% SC तथा 9% ST हो गई है।

SC एवं ST की जनसंख्या में इस वृद्धि के बावजूद भारत सरकार केंद्रीय सरकारी सेवाओं में SC के लिए 15% तथा ST के लिए 7.5% के मौजूदा आरक्षण प्रतिशत का ही पालन कर रही है। अतः सरकारी सेवाओं में इन समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए 2011 की जनगणना में परिलक्षित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुपात में आरक्षण प्रतिशत में तत्काल संशोधन किया जाना चाहिए तथा वर्तमान में चल रही जनगणना के जनसंख्या आंकड़े उपलब्ध होने पर उसके अनुसार भी आरक्षण प्रतिशत में आगे संशोधन किया जाना चाहिए।

यह उल्लेखनीय है कि संसद, राज्य विधानसभाओं तथा पंचायती राज संस्थाओं में SC एवं ST के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या से संबद्ध किया गया है। अतः सरकारी रोजगार में भी जनसंख्या-आधारित प्रतिनिधित्व के समान सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए।

अतः माननीय संसदीय समिति से अनुरोध है कि वह SC एवं ST की जनसंख्या के अनुपात में केंद्रीय सरकारी सेवाओं में उनके आरक्षण प्रतिशत में तत्काल संशोधन करने की अनुशंसा करे।

18. व्यापक आरक्षण अधिनियम का निर्माण तथा उसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना।

यह देखा गया है कि SC एवं ST के हितों की सुरक्षा के लिए बनाई गई आरक्षण नीति एवं विभिन्न प्रावधानों को विभिन्न न्यायालयों के समक्ष बार-बार चुनौती दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप लंबे समय तक चलने वाला मुकदमा, अनिश्चितता तथा संवैधानिक आरक्षण नीति के एकरूप कार्यान्वयन में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं।

अतः शिक्षा, रोजगार तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में SC एवं ST के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन हेतु एक स्पष्ट, एकरूप एवं वैधानिक ढांचा प्रदान करने के लिए एक व्यापक आरक्षण अधिनियम (Comprehensive Reservation Act) बनाए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

प्रस्तावित आरक्षण अधिनियम को, संवैधानिक एवं विधिक आवश्यकताओं के अधीन, भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule) में शामिल किए जाने पर भी विचार किया जा सकता है, ताकि आरक्षण नीति को अधिक स्थायित्व एवं संरक्षण प्राप्त हो सके तथा लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों एवं विभिन्न न्यायिक व्याख्याओं के कारण इसके कार्यान्वयन में बार-बार उत्पन्न होने वाले व्यवधान को रोका जा सके।

अतः माननीय संसदीय समिति से अनुरोध है कि वह व्यापक आरक्षण अधिनियम के शीघ्र निर्माण तथा उसे उपयुक्त संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने की अनुशंसा करे।

19. निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान।

अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहाँ रोजगार के अवसरों का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक सरकारी क्षेत्र से बाहर उत्पन्न हो रहा है। विभिन्न कॉरपोरेट निकायों, कंपनियों, सोसायटियों, सहकारी संगठनों तथा कानून के अधीन स्थापित अन्य संस्थाओं, जिनमें सार्वजनिक संस्थानों से संस्थागत वित्त अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संगठन तथा विदेशी सहयोग से स्थापित संस्थाएँ भी शामिल हैं, को रोजगार के अवसरों में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए।

सामाजिक न्याय तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का संवैधानिक उद्देश्य केवल इस कारण विफल नहीं होना चाहिए कि रोजगार के अवसर सरकारी क्षेत्र से निजी अथवा कॉरपोरेट संस्थानों में स्थानांतरित हो गए हैं।

अतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की नीति को चरणबद्ध एवं विधिक रूप से प्रवर्तनीय तरीके से निजी क्षेत्र तक विस्तारित किया जाना चाहिए। इसमें उपयुक्त निजी संगठन, कॉरपोरेट निकाय तथा अन्य संस्थान, विशेष रूप से वे संस्थाएँ जो सार्वजनिक संसाधनों, सरकारी रियायतों, संस्थागत वित्त अथवा सार्वजनिक अवसंरचना से पर्याप्त रूप से लाभान्वित हो रही हैं, शामिल किए जाने चाहिए।

माननीय संसदीय समिति से अनुरोध है कि निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधायी एवं नीतिगत उपायों की अनुशंसा करने की कृपा करें।

20. एकल-पद संवर्गों में एल-टाइप रोस्टर प्रणाली लागू करने का प्रावधान।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी उन निर्देशों के कारण, जिनके अनुसार एकल पद वाले संवर्गों में आरक्षण लागू नहीं होता, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए, विशेष रूप से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले ऐसे पदों के मामलों में, गंभीर कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं।

सरकारी सेवाओं में ऐसे अनेक एकल-पद संवर्ग हैं, जहाँ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी ऐतिहासिक रूप से पदोन्नति के माध्यम से ऐसे पदों पर नियुक्त होते रहे हैं, जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी प्रतिनिधित्व एवं पदोन्नति के अपने वैध अवसरों से वंचित रहे हैं।

सामाजिक न्याय एवं समान अवसर के हित में वर्तमान व्यवस्था पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। जहाँ विधिक रूप से अनुमेय हो, वहाँ एकल-पद संवर्गों में एल-टाइप रोस्टर प्रणाली लागू की जानी चाहिए, ताकि आरक्षण के संवैधानिक उद्देश्य को विफल होने से रोका जा सके।

वैकल्पिक रूप से, जहाँ प्रशासनिक एवं विधिक रूप से व्यवहार्य हो, आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से समान अथवा समकक्ष एकल-पद संवर्गों को एक उपयुक्त सामान्य संवर्ग में सम्मिलित किया जा सकता है।

अतः माननीय संसदीय समिति से अनुरोध है कि वर्तमान निर्देशों में उपयुक्त संशोधन की अनुशंसा करने की कृपा करें, ताकि केवल इस कारण से कि कोई पद एकल-पद संवर्ग का हिस्सा है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी अपने वैध पदोन्नति के अवसरों से वंचित न हों।

21. एक्स-कैडर (Ex-Cadre) पदों में आरक्षण का प्रावधान।

DoPT के वर्तमान निर्देशों के अनुसार, प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने वाले कुछ एक्स-कैडर पदों पर सामान्यतः आरक्षण लागू नहीं होता। इसका परिणाम यह होता है कि पात्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी एवं अधिकारी ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर सेवा करने के अवसरों से वंचित हो जाते हैं।

इस नीति की समीक्षा किए जाने तथा एक्स-कैडर एवं प्रतिनियुक्ति के पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से रेलवे के क्षेत्रीय मुख्यालयों एवं मंडलों में केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), सतर्कता संगठनों तथा अन्य जाँच अथवा पर्यवेक्षण संबंधी प्रतिष्ठानों जैसे महत्वपूर्ण संगठनों एवं विभागों में यह आवश्यक है।

ऐसे संगठनों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सतर्कता एवं जाँच तंत्र के कार्यकरण में निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, विविधता तथा विश्वास सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

अतः माननीय संसदीय समिति से अनुरोध है कि जहाँ विधिक एवं प्रशासनिक रूप से व्यवहार्य हो, वहाँ एक्स-कैडर पदों पर उपयुक्त आरक्षण/प्रतिनिधित्व के प्रावधान लागू किए जाने की अनुशंसा करने की कृपा करें, विशेष रूप से ऐसे पदों पर जिनमें महत्वपूर्ण शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व निहित हों।

22. ग्रुप 'A' सेवाओं के सभी स्तरों तक पदोन्नति में आरक्षण का विस्तार।

ग्रुप 'A' सेवाओं में पदोन्नति के माध्यम से आरक्षण का विषय तत्काल विचार किए जाने की आवश्यकता रखता है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की चौथी एवं पाँचवीं रिपोर्टों में यह अनुशंसा की गई थी कि DoPT के दिनांक 13.08.1997 के कार्यालय ज्ञापन में उपयुक्त संशोधन करते हुए पदोन्नति में आरक्षण को सभी स्तरों एवं सभी श्रेणी के पदों तक विस्तारित किया जाना चाहिए।

आयोग ने अपनी छठी रिपोर्ट में भी इस अनुशंसा को दोहराया तथा इस बात पर बल दिया कि समाज के सर्वाधिक वंचित वर्गों को उनका उचित हिस्सा एवं अवसर प्राप्त हो तथा वे शासन एवं प्रशासन में प्रभावी रूप से भागीदारी कर सकें।

इन अनुशंसाओं के बावजूद, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारी उच्च प्रशासनिक स्तरों, विशेष रूप से ग्रुप 'A' सेवाओं में, पहुँचने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना कर रहे हैं। केवल प्रवेश स्तर पर आरक्षण प्रदान करना वरिष्ठ निर्णय-निर्माण स्तरों पर सार्थक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के संवैधानिक उद्देश्य को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं करता।

अतः अनुरोध है कि संविधान, लागू न्यायिक निर्णयों तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को ग्रुप 'A' सेवाओं के सभी पात्र स्तरों तक विस्तारित किया जाए।

माननीय संसदीय समिति से अनुरोध है कि ग्रुप 'A' सेवाओं के सभी स्तरों पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रभावी एवं पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान नीति एवं निर्देशों में उपयुक्त संशोधन किए जाने की अनुशंसा करने की कृपा करें।



(बी. एल. बैरवा)
राष्ट्रीय अध्यक्ष



(अशोक कुमार)
राष्ट्रीय महासचिव

